



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 60

अंक: 11

सितंबर 2014

मूल्य : ₹ 10



गांवों से पलायन

मुक्त विद्यालय-छुए मन, बदले जीवन



आओ पढ़ें! आगे बढ़ें!

अपनी शिक्षा आगे बढ़ायें... मुक्त विद्यालय को अपनायें

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क (बिना विलम्ब)			प्रवेश के लिए तिथियां
	पुरुष	महिलाएं	छूट प्राप्त वर्ग	
• मुक्त बेसिक शिक्षा कक्षा-III, V एवं VIII	—	—	—	30 जून (प्रत्येक वर्ष)
• सेकेन्डरी (कक्षा - X)				ब्लाक-1 : 16 मार्च-31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त-15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1350	₹ 1100	₹ 900	ब्लाक-2 : 16 सितम्बर-31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी-15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 200	₹ 200	₹ 200	
• सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा - XII)				ब्लाक-1 : 16 मार्च-31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त-15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1500	₹ 1250	₹ 975	ब्लाक-2 : 16 सितम्बर-31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी-15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 230	₹ 230	₹ 230	
• व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (6 माह से 2 वर्ष)	पाठ्यक्रमों एवं अवधि के आधार पर			सत्र - 1 : 30 जून (प्रत्येक वर्ष) सत्र - 2 : 31 दिसम्बर (प्रत्येक वर्ष)

प्रवेश के लिए अपने निकटतम अध्ययन केंद्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
विलम्ब शुल्क, अध्ययन केंद्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in देखें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)

ए-24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

टॉल फ्री नं. 1800-180-9393; ईमेल : lsc@nios.ac.in वेबसाइट : www.nios.ac.in

विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

KH-158/2014



कुरुक्षेत्र



वर्ष : 60 ★ मासिक अंक : 11 ★ पृष्ठ : 48 ★ भाद्रपद-आश्विन 1936 ★ सितम्बर 2014

इस अंक में

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र-व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली-110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011-23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 011-26100207, फैक्स : 26100207
ई-मेल : pdjuir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
संजीव कुमार साणू

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये
वार्षिक शुल्क : 100 रुपये
द्विवार्षिक : 180 रुपये
त्रिवार्षिक : 250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
सार्क देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)



गांवों से पलायन का बदलता स्वरूप

मधुकर कोटवे

3



गांवों से पलायन की बढ़ती प्रवृत्ति
चुनौतियां एवं समाधान

डॉ. अनीता मोदी

7



पलायन समस्या या सामान्य मानवीय
प्रक्रिया

सुभाष सेतिया

10



गांवों से पलायन : कारण एवं निवारण

प्रतापमल देवपुरा

14



ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन : कारण एवं परिणाम

डॉ. अर्जुन सोलंकी

17



रोजगार नहीं होना पलायन का मुख्य कारण

विकास कुमार सिन्हा

22



पलायन : गरीबी और बेरोजगारी

सुनील कुमार ठाकुर

29



बुन्देलखण्ड के गांवों में रोजगार संकट से
बढ़ता पलायन

सुन्दर सिंह राणा

33



बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति समय की मांग

जसविंदर कौर एवं

37

डॉ. संदीप सिंह



सेहत के लिए लाभकारी है सेम

चंद्रभात यादव

42



फूलों की खेती से बदली तकदीर

डॉ. के.एन. तिवारी एवं

46

एस.पी. सिंह

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

बढ़ती आबादी के कारण पलायन की समस्या काफी उग्र हो जाने से इन दिनों यह सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रथम जनगणना 1951 के समय में ग्रामीण आबादी 83 प्रतिशत एवं शहरी आबादी 17 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना में यह गांवों में घटकर 68 प्रतिशत और शहरों में बढ़कर 32 प्रतिशत हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का पहला और मौलिक कारण जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि है। इसके अलावा गांवों में लगातार हो रहा कुटीर उद्योगों का पतन, भूमिहीन कृषक, ऋणग्रस्तता, सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक कारण पलायन को विवश करते हैं। शहरों की चकाचौंध, अधिक मजदूरी की आशा, शिक्षा और रोजगार की उम्मीद गांवों से शहरों की ओर ले जाती है। किंतु इस तरह से पलायन सांस्कृतिक संघर्ष को तो जन्म देता ही है साथ ही नैतिक मूल्यों का भी अवमूल्यन होता है।

रोजगार तथा बेहतर जीवन किसी भी काल में पलायन का मुख्य आकर्षण रहा है। गांवों में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का अभाव है। शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा प्राप्ति भी हमारे देश में पलायन का एक मुख्य कारण रहा है। पलायन का एक और बड़ा कारण है सामाजिक विषमता तथा शोषण। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग अपना स्थान छोड़ने को विवश हो जाते हैं। वजह कोई भी हो लेकिन सीमा से अधिक पलायन या स्थानांतरण हमारे सामाजिक तथा राष्ट्रीय तानेबाने के लिए हानिकारक हो सकता है।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि 'पूरा' मिशन (प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटिज इन रुरल एरिया) के जरिए गांवों में ही शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है। 'पूरा' के तहत कलस्टर्स बनाकर गांवों का उत्थान करना विकास का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए।

आमतौर पर पलायन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है और कुल मिलाकर इसे समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है। एक तो परिश्रमी और प्रतिभाशाली ग्रामवासियों का शहरों में पलायन हो जाने के फलस्वरूप गांवों की सम्यक देखभाल नहीं हो पाती और दूसरे शहरों में आबादी बढ़ जाने से बिजली, पानी, स्वच्छता जैसी नागरिक सुविधाओं पर बोझ पड़ता है। इनके अलावा और भी कई परिवर्तन आते हैं जो गांवों तथा शहरों में जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

पलायन के बारे में समस्या यह है कि नगर नियोजक सही अनुमान नहीं लगा सकते कि कब कितना पलायन होगा क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कब कितने लोग बाहर से किसी नगर, जिले या राज्य में पहुंच जाएंगे।

भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण शहरों में बसे लोग एक-दूसरे से कटे रहते हैं जिससे किसी का भय या लिहाज न रहने से अपराधवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अपनी स्थानीय संस्कृति तथा सामाजिक एवं पारम्परिक परंपराओं से कट जाने के कारण लोग हताश व उदासी महसूस करते हैं तथा शराब, अफीम, ड्रग्स आदि के शिकंजे में फंस जाते हैं।

इस तरह अधिकतर लोग बेहतर तथा अधिक सुखी जीवन के जिस सपने को लेकर शहरों की ओर पलायन करते हैं वे पूरे नहीं हो पाते। इसके विपरीत वे अमीर, शक्तिशाली एवं सम्पन्न लोगों का जीवन सुखी तथा आरामदेह बनाने के उपकरण मात्र बनकर रह जाते हैं।

आज गांव कुटीर उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि युवा वर्ग शहरों की चकाचौंध की दुनिया में अपने को जाने से नहीं रोक पाते हैं। और वहां जाकर युवा अपने गांव के सुकून की जिंदगी को खो देते हैं लेकिन रोजगार की मजबूरी उन्हें गांवों को लौटने नहीं देती।

गांवों से शहरों की ओर पलायन की बढ़ती गति पर लगाम कसने हेतु खेती एवं पशुधन को सम्पन्न एवं लाभकारी बनाना अत्यंत आवश्यक है। गांवों की सम्पन्नता एवं खुशहाली का आधार खेती एवं पशुधन ही है। महानगरों की तरफ पलायन पर लगाम कसने के लिए यह जरूरी है कि गांवों व निकटवर्ती कस्बों एवं शहरों में ही फूड प्रोसेसिंग इकाईयां, लघु व कुटीर उद्योग तथा दस्तकारी उद्योगों को स्थापित करके रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाए। ऐसा करने पर दोतरफा फायदा होगा—एक तरफ शहरों पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ कम होगा, मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान होगा तो दूसरी तरफ गांवों में भी विकास की लहर उत्पन्न होगी। गांवों की अर्थव्यवस्था का विकास होने पर वे भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे तथा ग्रामीण जनों को परिवार से अलग होकर शहरों की मलिन बस्तियों में जीवनयापन के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा।

तमाम नकारात्मक पहलुओं के बीच स्थानांतरण के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जिनमें गांवों के साधारण परिवारों के युवक-युवतियों ने शहरों में आकर सफलता की नई ऊंचाईयों को छुआ और शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय तथा राजनीति के शिखरों तक पहुंचने में सफल हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग काफी हद तथा जाति, धर्म की जकड़न से मुक्त हो जाते हैं।

देश के गांवों में आज भी प्रचुर भूमि, खनिज, निर्माण सामग्री जैसे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। गांवों में पर्यटन को आकर्षित करने वाले अनेक मनोरम स्थानों और पारम्परिक रूप से संपन्न संस्कृति का वरदान मिला हुआ है। यहां ऐसे साहसी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोगों की कमी नहीं है जो सूखा, बाढ़, भूकम्प जैसी भयानक प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते रहे हैं।

संक्षेप में, गांवों में न तो संसाधनों की कमी है और न ही संकल्पित मानव समूह की। जरूरत है तो गांवों में ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की और ग्रामीणों के मन में फिर से अपने घर-द्वार के प्रति प्रेम की अलख जगाने की। फिर से अपनी मिट्टी से जुड़ने में गांवों के किसानों, शिल्पकारों, हस्तशिल्पियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उद्यमिता कार्यक्रमों के जरिए मदद की जा सकती है। साथ ही गांवों को ऊर्जा सम्पन्न करके बैंकों की मदद से लघु उद्योग-धंधों का पुनर्स्थान करना होगा। तभी हम अपनी ग्रामीण संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। साथ ही, गांवों से पलायन पर भी रोक लगा सकते हैं।

गांवों से पलायन का बदलता स्वरूप

मधुकर कोटवे

आखिर ऐसा क्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से अलग करता है और ग्रामीण नागरिकों को शहरों की ओर पलायन के प्रति प्रेरित करता है। इस संदर्भ में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं- पहला, रोजगार दूसरा, आधारभूत संरचनागत सुविधा तीसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था। इन तीन मुद्दों के कारण ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होता है। किन्तु हाल के कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि इन सभी मुद्दों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी कुछ किया गया है और ग्रामीण पलायन में कमी आई है।

अक्सर कहा जाता है कि देश में शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो रही है। आंकड़ों से यह तथ्य प्रमाणित भी है। किन्तु क्या हम कभी यह भी सोचने का प्रयास करते हैं कि आखिर ग्रामीण अंचलों में क्या और किस तरह की संरचनाएं पैदा हो रही हैं? वास्तव में आजादी के बाद से ही सरकार की सभी योजनाओं और नीतियों में ग्रामीण क्षेत्र मुख्य फोकस रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाओं के प्रावधानों के तहत पूरा यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की प्रेरणा से वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करके और भी बेहतर सुविधाओं वाले जीवन के लिए ग्रामीण

क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और शहरी सुविधाएं उपलब्ध करना था। यह परियोजना ग्राम पंचायत और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी करके पी पी पी के अंतर्गत लागू की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों के संपर्क में इस हेतु रहता है। योजना के आरंभ में दसवीं योजना के दौरान 9 पायलट प्रोजेक्ट 5 राज्यों व एक केन्द्रशासित प्रदेश में लागू किए गए। इसके द्वितीय चरण में 10 पायलट प्रोजेक्ट लांच करने हैं। फरवरी 2012 में केरल के मालापुरम और त्रिपुर जिलों में 2 प्रोजेक्ट शुरू हुए। सात अन्य को भी 12वीं योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत कार्यकलाप और सहायता सम्बन्धी चार संपर्कता क्षेत्रों का चयन किया गया है-



- सड़क परिवहन और विद्युत संपर्कता।
- विश्वसनीय दूरसंचार, इंटरनेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संपर्कता।
- बेहतर शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध करना।
- बाजार संपर्कता जिससे किसान अपने उत्पादों का अधिकतम मूल्य प्राप्त करें।

देश में इस तरह की यह एक महत्वपूर्ण योजना थी। यहां इस तर्क को भी समझना महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा क्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से अलग करता है और ग्रामीण नागरिकों



को शहरों की ओर पलायन के प्रति प्रेरित करता है। इस संदर्भ में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं— पहला, रोजगार, दूसरा, आधारभूत संरचनागत सुविधा, तीसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था। इन तीन मुद्दों के कारण ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होता है। किन्तु हाल के कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि इन सभी मुद्दों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी कुछ किया गया है और ग्रामीण पलायन में कमी आई है। गांवों से शहरों की ओर पलायन के प्रति दृष्टिकोणों में अब काफी कुछ बदलना भी जरूरी हो गया है। इस सन्दर्भ में दो बातें प्रमुख हैं। पहला, सरकार की योजनाओं और नीतियों की वजह से पलायन में कमी और दूसरा, पलायन के स्वरूप में परिवर्तन। इन दो बातों के आधार पर हम ग्रामीण पलायन के समसामयिक रुझानों को समझ सकते हैं।

पलायन में कमी की वजह

आजादी के बाद से ही देश में कई ऐसी नीतियां लाई गईं जो हमारे देश के ग्रामीण अंचलों के विकास से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई थीं। ऐसी सैकड़ों नीतियां और योजनाएं क्रियान्वित की गईं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दिशा अग्रोन्मुख हो। अधिक पीछे न जाकर हम वर्तमान में संचालित योजनाओं का उदाहरण देख सकते हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन में कमी आई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) — गरीबी को प्रभावी तरीके से दूर करने और ग्रामीण विकास की दिशा तीव्र करने के लिए केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया। 2 फरवरी, 2006 से इसे पहले 200 जिलों में शुरू किया गया तथा 1 अप्रैल, 2008 को यह पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को प्रत्येक वर्ष 100 दिनों का मजदूरी योग्य गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीणों को मजदूरी योग्य रोजगार प्रदान करके ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मनरेगा कानून के प्रावधानों के तहत इसके दायरे में प्रमुख रूप से जल व मिट्टी संरक्षण, वनीकरण, भूमि विकास के कार्य शामिल किए गए हैं। 4 मई, 2012 को एक नई अधिसूचना के द्वारा इसमें 30 अन्य नए कार्य शामिल किए गए हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ भी इसका अभिसरण किया गया है। यह कार्यक्रम गरीबी निवारण परियोजना के रूप में प्रमुख तौर पर चिन्हित की गई है। प्रतिवर्ष 100 दिन की रोजगार गारंटी देना और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान शामिल कर इसे लाभोन्मुख बनाया गया है। 1 अप्रैल, 2013 से इन मजदूरों का

पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया गया है तथा इसे कृषि श्रम उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स (सी पी आई ए एल) से भी जोड़ा गया है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दर वर्तमान में 214 रुपये प्रतिदिन (हरियाणा में) से 135 रुपये प्रतिदिन (पूर्वोत्तर राज्यों में) तक है। इस कार्यक्रम को क्षेत्र आधारित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि ग्रामीण सशक्तीकरण का लाभ भी प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम में कार्यान्वयन एजेंसी मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों को बनाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम एजेंसी के रूप में मध्यवर्ती व जिला पंचायत, केंद्र व राज्य सरकार की अधिक अधिकार वाली सरकारी समितियां, राज्य के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां, प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन आदि भी हो सकते हैं। कार्यक्रम की निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य ग्रामसभा को दिया गया है जो सामाजिक लेखा-जोखा करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। मनरेगा कार्यक्रम में वर्ष 2010-11 के दौरान करीब 5.49 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। अब तक 1200 करोड़ रोजगार दिवस का सृजन हुआ है तथा ग्रामीणों के बीच करीब 1,10,000 करोड़ रुपये की मजदूरी वितरित की जा चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष औसतन एक-चौथाई परिवारों ने लाभ प्राप्त किया है। वर्ष 2013-14 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण और विशाल योजना है जिसने ग्रामीण लोगों की पलायन की प्रवृत्ति को काफी हद तक कम किया है। कुछ दिन पहले ही विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के अध्ययन से यह बात भी सामने आई थी कि इस कार्यक्रम की वजह से मजदूरों की आपूर्ति में कमी आ रही है। हालांकि इस योजना के साथ ग्रामीण पलायन का एक अन्य स्वरूप भी दिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग वर्ष में 100 दिन का रोजगार मनरेगा में प्राप्त करने के बाद भी शहरों की ओर अतिरिक्त आय के लिए जा रहे हैं। साथ ही अब ऐसे लोग अकेले न जाकर अपने पत्नी व बच्चों को भी साथ ले जा रहे हैं। यह पलायन का सर्वथा नया स्वरूप है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना — 25 दिसंबर, 2000 को शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 या अधिक आबादी वाले (2011 की जनगणना के अनुसार) तथा पहाड़ी, जनजातीय या मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 या अधिक आबादी वाले संपर्कविहीन स्थलों को बारहमासी सड़क संपर्क के द्वारा मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ना है। दिसंबर 2012 तक लगभग 96939 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है तथा 363652 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं इससे राज्यों की 89382 बस्तियों को नया संपर्क प्राप्त हुआ। विश्व बैंक का एक अध्ययन बताता है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क पक्की सड़कों से है उन क्षेत्रों में वर्ष 2000 से 2009 के



बीच लोगों की आमदनी में 50 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है। अध्ययन में यह बात भी रेखांकित की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब सड़क निर्माण पर 10 लाख का निवेश होता है तो करीब 163 लोग गरीबी के चक्र से बाहर निकलते हैं। इससे साबित होता है कि सड़क संपर्क ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम को भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक माना गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वर्तमान वित्तवर्ष में 21700 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था। इस योजना ने वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ कारोबारी माहौल भी निर्मित किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – 1 अप्रैल, 1999 से शुरू स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्निर्धारित किया है तथा इसका नाम आजीविका कर दिया गया है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 6 प्रमुख घटकों को मिलाकर बनाई गई थी। ये प्रमुख घटक थे— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए.), ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लायमेंट (ट्रायसेम), सप्लाय ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिसन्स (सिट्रा), मिलियन वेल्स स्कीम (एम डब्ल्यू एस), गंगा कल्याण योजना। नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुछ प्रमुख मिशन और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें शामिल हैं—ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराना, समूह तथा कलस्टर गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, स्वरोजगार में सहायता देना, कौशल विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ऋण व सब्सिडी देना तथा

उत्पादों के विपणन के अवसर उपलब्ध कराना, आदि। इस प्रकार समग्र रूप में इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को गरीबी से उबारकर बेहतर जीवन व योग्य बनाना है।

इस मिशन के तहत प्रावधान है कि गरीबी-रेखा से नीचे के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य (महिला को प्राथमिकता) को स्वयंसहायता समूह के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा क्षमता निर्माण व कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, सब्सिडी युक्त ऋण, नवीनता का संवर्धन करना भी इस मिशन के उद्देश्य हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर यह मिशन पूरे देश में लागू है। इस योजना ने भी प्रभावी तरीके से ग्रामीण पलायन को रोकने में योगदान दिया है।

स्वयंसहायता समूह – स्वयंसहायता समूह एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों का एक छोटा समूह है। समूह के सदस्य एक-दूसरे की समस्या के निदान के लिए सहयोग करते हैं। कोई स्थानीय शिक्षित व्यक्ति प्रेरक के रूप में उन्हें संगठित व गतिशील करता है। यह प्रेरक व्यक्ति समूह के सदस्यों को मितव्ययिता व बचत की आदत के विकास के लिए प्रेरित करता है। समूह के सदस्यों की बचत को एक सामूहिक बैंक खाते में जमा किया जाता है। 6 माह के बाद समूह किसी भी बैंक से सरस्ते लघु ऋण (प्रायः 2-3 प्रतिशत ब्याज दर पर) प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋण समूह को किसी लघु उद्यम (व्यवसाय) को स्थापित व संचालित करने के लिए दिया जाता है तथा इसका भुगतान व्यवसाय के लाभ से किया जाता है। इस ऋण की प्राप्ति के लिए बैंक के पास किसी प्रकार की जमानत को रखने की जरूरत नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने स्वयंसहायता समूह के ऋणों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वयंसहायता समूह के सदस्य किसी भी गरीब परिवार के पुरुष या महिला सदस्य, 2 एकड़ से कम सूखा भूखंडधारक किसान, स्वच्छ पेयजल से वंचित, परिवार में अशिक्षित वयस्क व्यक्ति, वैसा परिवार जिसमें कोई अल्कोहल या ड्रग्स एडिक्ट हो या किसी को गंभीर बीमारी हो तथा अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार आदि हो सकते हैं। स्वयंसहायता समूह की यह योजना दो तरीके से ग्रामीण विकास में मदद पहुंचाती है। पहला, यह वंचित तबकों को गरीबी दूर करने का अवसर देती है तथा दूसरा, यह उन लोगों का सशक्तीकरण भी करता है ताकि वे अपना निर्णय खुद ले सकें। संगठित रूप से बाहरी दुनिया के साथ उनका संपर्क बढ़े और वे नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ सकें। इसका समन्वित



प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में रोजगार के प्रति एक आशा के रूप में दिखता है और वे अपने समाज के साथ जुड़े रहना ज्यादा पसंद करते हैं।

रोशनी योजना – अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का एक बड़ा कारण ग्रामीण अशांति और तनाव को माना जाता है खास कर नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कौशल विकास कर रोजगार दिलाने वाली जम्मू-कश्मीर की योजना 'हिमायत' के तर्ज पर देश के सर्वाधिक नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए 'रोशनी' नामक परियोजना शुरू की गई है। 7 जून, 2013 को ग्रामीण विकास मंत्री ने इस नए कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। यह योजना नक्सल-प्रभावित 9 राज्यों के 24 जिलों में पहले चरण में शुरू की जा रही है। अगले तीन वर्षों में इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र और राज्यों का व्यय अंश 75 : 25 होगा। इस योजना के तहत करीब 50 हजार युवाओं जिसमें आधी महिलाएं होंगी, को विभिन्न प्रकार का कौशलपरक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार दिलाया जाएगा जो खुदरा, स्वास्थ्य, टेक्सटाइल, निर्माण, वित्तीय व बीमा क्षेत्रों से सम्बंधित रोजगार होंगे। प्रशिक्षण का कार्य जानी-मानी संस्थाओं को सौंपा जाएगा। रोशनी योजना की शुरुआत पायलट परियोजना के तौर पर छत्तीसगढ़ के सुकमा और झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिलों में की गई थी। सुकमा जिले के 150 से अधिक तथा पश्चिम सिंहभूम जिले के 230 युवाओं को प्रशिक्षित कर महानगरों में रोजगार दिलाए गए। इसकी सफलता से प्रेरित होकर ही सरकार अब इसे नए 24 जिलों में विस्तारित कर रही है। यह योजना भी रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ नक्सलवाद जैसी समस्या से ग्रामीण युवाओं को दूर करने में कारगर है। आज ग्रामीण विकास के मार्ग में नक्सल गतिविधियां बहुत बड़ी बाधक बनी हुई हैं। इस तरह की योजना भी गांवों से पलायन को कम करने में प्रभावी सिद्ध होगी।

ग्रामीण पर्यटन और सेवा क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास – पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल हमेशा ग्रामीण क्षेत्र रहा है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के पास इसके लिए पर्याप्त क्षमता और संभावना भी मौजूद है। कुछ वर्षों से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाए हैं। ग्रामीण पर्यटन से भी रोजगार के असीम दरवाजे खुले हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के मुताबिक पर्यटन क्षेत्र विश्व के कुल रोजगार का प्रत्यक्ष रूप से 7 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष रूप से इससे भी कई गुना अधिक रोजगार मुहैया कराता है। भारत का उदाहरण ले तो वर्ष 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान प्रत्यक्ष रूप से करीब 6 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष रूप से करीब 9 प्रतिशत था।

आज कई ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे भी पलायन दरों में कमी आ रही है। दूसरी ओर, आज ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीओ की अवधारणा भी काफी बढ़ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि यहां रेट और मजदूरी दर काफी कम है और कंपनियों को महंगे शहरों की अपेक्षा इसका संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में करना अधिक सस्ता और सुविधाजनक लगता है।

पलायन के स्वरूप में परिवर्तन और भविष्य की दिशा

इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन में कमी आ रही है। इसके पीछे वजह यह है कि देश के शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं मौजूद हैं उनका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। वह चाहे आधारभूत संरचना निर्माण के रूप में हो, रोजगार सृजन और संभावना के रूप में हो या न्यूनतम मानवीय सामाजिक आवश्यकता के रूप में हो। इसके अलावा तथापि हम यह नहीं कह सकते कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुक गया है, यह कम अवश्य हुआ है किन्तु रुका नहीं है। इसका स्वरूप जरूर बदल गया। पूर्व में पलायन का स्वरूप काफी बिखरा था। अब संगठित हो गया है। उदाहरण के लिए पहले लोग अकेले शहरों की तरफ रुख करते थे। अपने घर-परिवार से दूर सालों-साल रोजगार की तलाश करते थे और वर्षों बाद घर वापस आते थे। इस तरह की बातें ग्रामीण लोकगीतों में काफी मशहूर रही हैं। वर्तमान में अधिकतर प्रवासी मजदूर अपने परिवार को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि अब ऐसे मजदूर कुशलता प्राप्त कर लेते हैं और उनकी आय बढ़ जाती है। दूसरी तरफ देखे तो आवागमन के तीव्र साधनों की उपलब्धता और पहुँच काफी बढ़ गई है। इसके अलावा देखे तो यह पलायन अब मौसमी भी हो गया है। वर्ष के कुछ महीने ये मजदूर गांव में रहते हैं तो कुछ महीने शहरों में। पलायन का एक अन्य स्वरूप भी है जो स्थायी पलायन के रूप में दिखता है। अब गांव से लोग स्थायी रूप से शहरों में बस जाना चाहते हैं। इस तरह के नवीन रुझानों का प्रभाव स्पष्ट रूप से शहरी आबादी में वृद्धि के रूप में दिख रहा है। यह असंतुलित प्रवृत्ति आगे चलकर शहरीकरण के रूप में हमारे लिए संकट भी बन सकती है। अतः हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे उपाय करने होंगे ताकि शहरीकरण से हम ग्रामीणीकरण की ओर उन्मुख हो सकें। यह एक विस्तृत अवधारणा होगी जिसका तात्पर्य नकारात्मक नहीं होगा बल्कि यह शहरों से भी अधिक सुन्दर और अवसर का द्वार होगा जहां शहरी सुविधा और ग्रामीण परिवेश मिलना संभव होगा।

(लेखक न्यू फ्रेंड्स एकेडमी में प्रबंध निदेशक हैं।)
ई-मेल : gouravkumar1588@gmail.com

गांवों से पलायन की बढ़ती प्रवृत्ति चुनौतियां एवं समाधान

डॉ. अनीता मोदी

गांवों से शहरों

की तरफ पलायन की बढ़ती गति पर लगाम कसने हेतु

खेती एवं पशुधन को सम्पन्न एवं लाभकारी बनाना अत्यन्त आवश्यक है चूंकि गांवों

की सम्पन्नता एवं खुशहाली का आधार खेती एवं पशुधन ही है। महानगरों की तरफ पलायन पर लगाम कसने के लिए यह भी जरूरी है कि गांवों व निकटवर्ती कस्बों व शहरों में ही फूड प्रोसेसिंग इकाईयां, लघु व कुटीर उद्योग तथा दस्तकारी उद्योगों को स्थापित करके रोजगार अवसरों का विस्तार किया जाए। गांवों की अर्थव्यवस्था का विकास होने पर वे भी विकास की मुख्यधारा में समाहित हो सकेंगे। सुनियोजित, सुविचारित तथा वैज्ञानिक ढंग से शहरों व गांवों का विकास-विस्तार करके ही विकास प्रक्रिया में इनके योगदान को बढ़ाना संभव है तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करके शहरीकरण की प्रक्रिया को लाभप्रद बनाया जा सकता है।

ज्ञातव्य है कि गत कुछ दशकों से “गांवों के देश” भारत के जनसंख्या प्रतिरूप में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित किए जा रहे हैं। ग्रामीण लोगों के कदम अनवरत रूप से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व पर्यावरण संबंधी सभी पक्ष प्रभावित व परिवर्तित हो रहे हैं।

वर्तमान सदी की एक महत्वपूर्ण घटना ‘नगरीकरण’ है।

औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति व परिवहन क्रांति की बदौलत ‘नगरीकरण क्रांति’ का जन्म हुआ है। वर्तमान जनगणना 2011 के आंकड़ों में देश की जनसंख्या की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के रूप में चिंताजनक तस्वीर उजागर हुई है। इन आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान देश में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 12 प्रतिशत रही है जोकि 1991-2001 के दौरान 18 प्रतिशत थी जबकि शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर

1991-2001 में 31.5 प्रतिशत थी, जो मामूली तौर पर बढ़कर 2001 से 2011 के दौरान 31.8 प्रतिशत हो गई। परिणामस्वरूप, देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, जो 2001 में 72 प्रतिशत था, कम होकर जनगणना 2011 में लगभग 69 प्रतिशत रह गया है। दूसरी तरफ, शहरी जनसंख्या का अनुपात 28 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान जनगणना 2011 में 31 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया है। वर्ष 2001-2011 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या 90 मिलियन बढ़ी है जबकि शहरी जनसंख्या 91 मिलियन बढ़ी है अर्थात् आजादी के पश्चात पहली बार ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा शहरी जनसंख्या निरपेक्ष तौर पर अधिक तेजी से बढ़ी है।





निसंदेह रूप से, जनसंख्या में वृद्धि के साथ शहरों व कस्बों की संख्या एवं उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक प्रक्रिया है किन्तु चिन्ताजनक तथ्य यह है कि एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट हो रही है तो दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ रही है। इस विरोधाभास का स्पष्ट व मूलभूत कारण यह है कि ग्रामीण लोगों में पलायन की गति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।

पलायन प्रक्रिया ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की विकास दरों में अन्तर, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में अन्तर तथा आर्थिक सम्पन्नता में अन्तर से प्रभावित होती है। वर्तमान वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के युग में हमारे देश में शहरों एवं गांवों के मध्य आर्थिक विषमता की खाई उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जिसके कारण पलायन की गति भी तीव्र होती जा रही है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विषमता की बढ़ती खाई का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों के मुताबिक एक ग्रामीण के मासिक खर्च में गत पांच वर्ष की तुलना में जहां 492 रुपये की बढ़ोतरी हुई है वहीं शहरी के मासिक खर्च में 832 रुपये की वृद्धि हुई है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर अवस्थित दस प्रतिशत लोगों के मासिक खर्च में पांच वर्ष पहले के मुकाबले केवल 200 रुपये की वृद्धि हुई है अर्थात् ग्रामीण भारत में हुई औसत वृद्धि के आधे से भी कम वृद्धि हुई है। स्पष्ट है देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष रूप से निर्धन लोगों की स्थिति कमजोर होने के कारण उनके कदम अनवरत रूप से रोजगार की तलाश में बड़े नगरों व महानगरों की तरफ बढ़ रहे हैं। विडम्बना है कि हमारे देश में पलायन प्रक्रिया विकास आधारित ना होकर गरीबी पर निर्भर है।

औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने भी पलायन की गति को बढ़ावा दिया है। औद्योगिकीकरण के साथ-साथ नगरों का विकास होता है। किसी भी उद्योग की स्थापना व विकास हेतु आवश्यक आगत, तकनीक, बाजार व अन्य संबंधित जानकारियां शहरों में ही उपलब्ध होने के कारण उद्योगों का विकास व संकेन्द्रण मुख्य रूप से शहरों में होता है। इसी प्रकार, अनेक आंतरिक व बाह्य बचतें व मितव्ययताओं प्राप्त होने के कारण भी बड़ी फर्मे शहरों की तरफ आकृष्ट होती है। शहरों में विविध प्रकार के उद्योग-धंधों का विकास होने से तथा अनेक प्रकार की व्यापारिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक व अन्य क्रियाओं का विस्तार होने से रोजगार अवसरों का संवर्धन होता है, शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं तथा इस प्रकार शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगती है। किंग्सले डेविस ने भी औद्योगिक विकास को प्रवास का मूलभूत कारण बताते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि "औद्योगिक विकास तथा नगरों में नवागन्तुकों की संख्या में वृद्धि के मध्य घनिष्ठ संबंध है।"

इसी भांति, प्रत्याकर्षक तत्वों यथा जीवनयापन साधनों की कमी एवं अपर्याप्त मजदूरी, बेरोजगारी, मशीनीकरण, निम्न जीवन-स्तर, उन्नति के अवसरों की कमी आदि के कारण भी ग्रामीण लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। गौरतलब है कि गांवों में रोजगार अवसरों की अपर्याप्तता, कृषि की निराशाजनक व बोझिल स्थिति के कारण गांवों में रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण लोगों के लिए शहरों में आजीविका निर्वाह हेतु पलायन करना मजबूरी बन जाती है। इसे विवश प्रवास की संज्ञा दी गई है। भारत में विवश प्रवास की प्रवृत्ति अधिक है।

इन आर्थिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक कारण भी पलायन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ज्ञातव्य है कि गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की पर्याप्त अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः ग्रामीण लोग उच्च व व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति हेतु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भी शहरों की तरफ पलायन करते हैं। इसी प्रकार, गांवों से शहरों की तरफ पलायन "अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण" की वजह से भी होता है। यातायात व दूरसंचार क्षेत्र में हुई क्रांति ने भी ग्रामीण-शहरी पलायन में संवर्धन किया है। यातायात के साधनों के तीव्र विकास एवं सुगम व्यवस्था ने पलायन की प्रक्रिया को सरल, शीघ्र एवं सुलभ बना दिया है। ज्ञातव्य है कि यातायात व दूरसंचार साधनों के विकास के कारण भी नगर उद्योग व व्यापार के केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। बाढ़, सूखा, अकाल, भूचाल आदि प्राकृतिक तत्वों के कारण भी पलायन की गति बढ़ती है।

निश्चित रूप से, शहरीकरण को विकास का पर्याय समझा जाता है किन्तु हमारे देश में शहरीकरण विकास पर आधारित न होकर गरीबी व बेरोजगारी पर आधारित है। इसी वजह से देश का शहरीकरण नियोजित, संतुलित व विवेकपूर्ण की श्रेणी में समाहित नहीं है। देश में अनियोजित व असंतुलित शहरीकरण विकास का प्रतिबिम्ब न होकर ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली, कृषि की निराशाजनक स्थिति एवं गांवों में रोजगार के अपर्याप्त अवसरों की तस्वीर को रेखांकित करता है। हमारे देश में गांवों से शहरों की तरफ पलायन बढ़ने का मूलभूत कारण यह है कि गांवों में बेरोजगारी है, निर्धनता है, दो जून रोटी का जुगाड़ करना दुष्कर है एवं गांव आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसी विकट व निराशाजनक स्थिति में ग्रामीण लोग विवश होकर महानगरों की तरफ अनियमित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार की तलाश हेतु पलायन कर रहे हैं। छोटे एवं मध्यम कस्बों का विकास पर्याप्त रूप से नहीं होने के कारण ग्रामीण लोग इन कस्बों की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं तथा विवश होकर इन ग्रामीणों को बड़े शहरों एवं महानगरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। इन महानगरों में ग्रामीण लोग अनौपचारिक क्षेत्र जैसे ईट निर्माण,

बुआई, मत्स्यपालन, भवन निर्माण आदि में कार्य करते हुए झुग्गी-झोपड़ियों में नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त हैं।

देश के बड़े महानगरों की तरफ ग्रामीण जनसंख्या के अनवरत पलायन के कारण इन बड़े महानगरों में समस्याओं का अंबार लग गया है। इन महानगरों की आधारभूत व बुनियादी सुविधाओं यथा आवास, शिक्षा, यातायात, परिवहन, जलापूर्ति, बिजली आदि पर बोझ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती भीड़, वाहनों की बढ़ती संख्या, दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या, अनियंत्रित यातायात व्यवस्था व प्रदूषण का बढ़ता कहर जैसी समस्याओं ने महानगरों की स्थिति निराशाजनक व चिन्ताजनक बना दी है। यह निराशाजनक तथ्य पाया गया है कि देश के शहरी क्षेत्र के 13 प्रतिशत घर बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है, 16 प्रतिशत घरों में “सुरक्षित पेयजल व्यवस्था” का अभाव है तथा 27 प्रतिशत घरों में शौचालय जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ज्ञातव्य है कि बड़े शहरों में लगभग 50 प्रतिशत तक की जनसंख्या कच्ची बस्तियों व गन्दी बस्तियों में अपना जीवन बिताने को बाध्य है। इन बस्तियों में नल, बिजली, पानी, स्वच्छ वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस संदर्भ में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि देश के लघु व मध्यम आकार के शहरी क्षेत्रों की स्थिति शौचालय, पेयजल व विद्युत संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर बड़े शहरों की अपेक्षा अधिक निराशाजनक व विचारणीय है। अभी भी छोटे व मध्यम आकार के शहरी क्षेत्रों के 60 प्रतिशत घर शौचालय, बिजली व पेयजलापूर्ति जैसी सुविधाओं से महरूम है। अतः हमें महानगरों के विकास के साथ छोटे व मध्यम शहरों को नई वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी ढांचे से सजाना व संवारना होगा।

अनियोजित, असंतुलित नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण किन्तु दुखद पक्ष “मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या” है। ज्ञातव्य है कि विश्व में मलिन बस्तियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। देश के शहरी क्षेत्र के लगभग चार प्रतिशत हिस्से पर मलिन बस्तियां अवस्थित हैं।

सच्चाई यही है कि बड़े शहरों की बढ़ती चुनौतियों एवं मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या के बावजूद भी देश में शहरीकरण की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ने की प्रबल संभावना है। संयुक्त राष्ट्र के “वर्ल्ड पोपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स” में यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि वर्ष 2050 तक भारत आबादी के दृष्टिकोण से चीन को पीछे छोड़ देगा तथा देश के गांव संसाधनों व बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बढ़ती जनसंख्या का बोझ वहन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में गांवों से शहरों की तरफ पलायन की गति बढ़ेगी तथा अन्ततः “गांवों के देश” भारत में वर्ष 2050 तक लगभग आधी जनसंख्या शहरों में निवास करने लगेगी।

ग्रामीण-शहरी पलायन की तेज गति गांवों व शहरों दोनों के लिए नुकसानप्रद है। ऐसी स्थिति में यह नितांत जरूरी है कि अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण शहरीकरण के दुष्परिणामों को देखते हुए सुनियोजित, टिकाऊ एवं स्वच्छ शहरीकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाए ताकि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की विभाजन रेखा लुप्त हो सकें, ग्रामीण क्षेत्र भी समृद्ध, खुशहाल व रोजगार युक्त हो ताकि विवश होकर ग्रामीणजनों को शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़े।

शहरों में आधारभूत संरचनाओं का जाल बिछाते हुए उन्हें नई आवश्यकताओं व बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप सुदृढ़ किया जाए ताकि वे जनसंख्या के बढ़ते बोझ को बिना किसी व्यवधान के सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से वहन कर सकें। हमें इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि शहर किसी भी देश के विकास के आधार स्तम्भ हैं। शहरों का सुनियोजित व व्यवस्थित विकास होने पर बाजार, उद्योगों, रोजगार अवसरों व आउटसोर्सिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों का विकास व विस्तार होने से विकास प्रक्रिया को गति मिलती है। वैश्वीकरण के लाभों से लाभान्वित होकर सुनियोजित व सुविचारित शहर वैश्विक प्रतिभाओं, तकनीकी खोज व अनुसंधानों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन जाते हैं तथा विश्व में अपना वर्चस्व व अहमियत बढ़ाने में कामयाब होते हैं।

इसके साथ, हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना होगा कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन की बढ़ती गति पर लगाम कसने हेतु खेती एवं पशुधन को सम्पन्न एवं लाभकारी बनाना अत्यन्त आवश्यक है चूंकि गांवों की सम्पन्नता एवं खुशहाली का आधार खेती एवं पशुधन ही है। महानगरों की तरफ पलायन पर लगाम कसने के लिए यह भी जरूरी है कि गांवों व निकटवर्ती कस्बों व शहरों में ही फूड प्रोसेसिंग इकाईयां, लघु व कुटीर उद्योग तथा दस्तकारी उद्योगों को स्थापित करके रोजगार-अवसरों का विस्तार किया जाए। ऐसा करने पर दोतरफा फायदा होगा – एक तरफ शहरों पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ कम होगा, मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान होगा तो दूसरी तरफ गांवों में भी विकास की लहर उत्पन्न होगी, गांवों की अर्थव्यवस्था का विकास होने पर वे भी विकास की मुख्यधारा में समाहित हो सकेंगे तथा ग्रामीण जनों को परिवार से अलग होकर शहरों की मलिन बस्तियों में जीवनयापन के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार से सुनियोजित, सुविचारित तथा वैज्ञानिक ढंग से शहरों व गांवों का विकास-विस्तार करके ही विकास प्रक्रिया में इनके योगदान को बढ़ाना संभव है तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करके शहरीकरण की प्रक्रिया को लाभप्रद बनाया जा सकता है।

प्रवक्ता, अर्थशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, जायल नागौर, राजस्थान
ई-मेल : anitazmodi@gmail.com

पलायन समस्या या सामान्य मानवीय प्रक्रिया

सुभाष सेतिया

रोज़गार तथा बेहतर जीवन किसी भी काल में पलायन का मुख्य आकर्षण रहा है। शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा प्राप्ति भी हमारे देश में स्थानान्तरण का एक मुख्य कारण रहा है। पलायन का एक और बड़ा कारण है सामाजिक विषमता तथा शोषण। प्राकृतिक आपदाएं तथा गंभीर दुर्घटनाओं के कारण भी लोग अपना स्थान छोड़ने को विवश हो जाते हैं। किंतु एक सीमा से अधिक पलायन या स्थानांतरण हमारे सामाजिक व राष्ट्रीय ताने-बाने के लिए हानिकारक हो सकता है। पलायन को एकदम रोक पाना न संभव है और न ही वांछनीय। अतः गांवों में उन सुविधाओं की व्यवस्था करने के उपाय किए जाने चाहिए जिनसे आकर्षित होकर लोग शहरों की तरफ भागते हैं।



पलायन या माइग्रेशन को हम अक्सर गांव से शहर की ओर गमन के अर्थ में लेते हैं। हमारे देश में पलायन का यही अर्थ लिया जाता है क्योंकि इससे हमारा देश ग्रामीण भारत से शहरी भारत में बदल रहा है और हमारे नगरों तथा गांवों के स्वरूप में उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है। इस मसले के विविध पहलुओं और पलायन के कारणों का विवेचन करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि 'पलायन' शब्द माइग्रेशन के समूचे अर्थ को प्रकट नहीं करता। पलायन से यह ध्वनि निकलती है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक मजबूरी में भाग रहे हैं। माइग्रेशन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन आवश्यक नहीं कि लोग भागकर किसी दूसरे स्थान पर जाएं। इसलिए माइग्रेशन के लिए पलायन की बजाय स्थानान्तरण शब्द अधिक उपयुक्त है। इसी से जुड़ी दूसरी बात यह है कि पलायन या स्थानान्तरण केवल नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है। इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। यह एक सहज और अनिवार्य प्रक्रिया है जो कुछ संदर्भों में हानिकारक होती है तो कुछ अन्य संदर्भों में लाभदायक।

सच तो यह है कि स्थानांतरण या माइग्रेशन मानव सभ्यता के विकास एवं विस्तार का मुख्य कारण रहा है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया न होती तो मनुष्य अभी तक आदिमानव बना रहता। मानव सभ्यता के विकास की कहानी स्थानांतरण से ही शुरू हुई। हमारे देश की सभ्यता से जुड़ा यह प्रश्न आज भी पूछा

जाता है कि आर्य यहां के मूल निवासी हैं या बाहर से आए। यह बाहर आना या बाहर जाना ही स्थानांतरण या पलायन है। गांव से कस्बे, कस्बे से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक देश से दूसरे देश में पलायन की प्रक्रिया पूरी दुनिया में चलती रहती है। विश्व की बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जो सदैव स्थानान्तरण करती रहती है। वे लोग कहीं भी स्थायी रूप से नहीं बसते। ऐसी जातियों या समुदायों को घुमंतु समुदाय कहा जाता है। मानव सभ्यता के उदयकाल से लेकर आधुनिक काल तक पलायन का यह दौर चलता आ रहा है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार 2013 में दुनिया भर में 22 करोड़ से अधिक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। विश्व में परिस्थितियां जिस तेज़ी से बदल रही हैं, माइग्रेशन की गति और बढ़ने की संभावना है और 2050 तक स्थानांतरण करने वालों की संख्या 40 करोड़ को पार कर जाने का अनुमान है। स्थानांतरण या माइग्रेशन के बारे में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सभी देशों में एक समान मौजूद हैं। उदाहरण के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन अधिक होता है। बड़ी उम्र की तुलना में युवा लोग अधिक स्थान बदलते हैं। अधिकतर लोग अपने घरों से ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते। व्यक्ति की बजाय परिवार अधिक संख्या में पलायन करते हैं।

भारत एक प्राचीन देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसलिए यहां माइग्रेशन या पलायन करने वालों की संख्या भी काफी अधिक है। हमारे देश में स्थानांतरण के कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले वर्ग में वे कारण हैं जिनसे आकर्षित होकर लोग दूसरे स्थानों के लिए प्रस्थान करते हैं और दूसरे वर्ग में वे परिस्थितियां हैं जिनसे विकर्षित होकर या परेशान होकर वे अपनी जगह छोड़ते हैं। जैसाकि पहले कहा गया है अधिकतर पलायन गांवों से शहरों की ओर होता है। देश में हालांकि ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाए गए हैं किन्तु इस सच से इंकार नहीं किया जा सकता कि जैसी सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं वैसी गांवों में कतई नहीं हैं। इसलिए भारत में गांवों से शहरों की ओर पलायन का प्रमुख कारण है शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया। जब सरकार का अधिक ध्यान शहरों को विकसित करने पर हो तो व्यावसायिक और निर्माण गतिविधियां भी शहरों में अधिक चलती हैं जिसका सीधा परिणाम रोजगार की उपलब्धता में प्रकट होता है। रोजगार तथा बेहतर जीवन किसी भी काल में पलायन का मुख्य आकर्षण रहा है। इसी से जुड़ा एक अन्य कारण है देश में कृषि के मशीनीकरण के कारण खेतिहर मज़दूरों की मांग में कमी और शहरीकरण के फलस्वरूप कृषि क्षेत्रों का निरन्तर सिकुड़ना। इसके अलावा गांवों में

रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का अभाव है। ज़ाहिर है कि गांवों में कामधंधा न मिलने के कारण ग्रामीण जनता आसपास के कस्बों या शहरों की ओर मुंह करती है। शहरीकरण से जुड़ी एक और गतिविधि है औद्योगिकीकरण। यदि सारी दुनिया के आंकड़ों को देखा जाए तो औद्योगिकीकरण आधुनिक युग में माइग्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण आधार रहा है। देश में आज भी खेतीबाड़ी या किसानों की सम्पन्नता का माध्यम नहीं है। इसलिए उद्योगों के लिए कर्मियों, विशेषकर अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रामवासी परिवार शहरों में चले जाते हैं।

शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा प्राप्ति भी हमारे देश में स्थानान्तरण का एक मुख्य कारण रहा है। उच्च शिक्षा के अधिकतर संस्थान शहरों में होते हैं और गांवों तथा छोटे कस्बों में इनका अभाव होता है। इसलिए अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बाहर भेजते हैं। बच्चे पढ़ाई करने के बाद या तो वहीं कामधंधा करने लगते हैं या अन्य शहरों में काम करने चले जाते हैं क्योंकि उनके लायक नौकरी या व्यवसाय गांवों अथवा कस्बों में नहीं होते। कुछ समय बाद माता-पिता भी अपने बच्चों के साथ जाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार पारिवारिक संबंध भी लोगों को शहरों में जाकर बसने को प्रेरित करते हैं। एक परिवार के शहर में जाकर बस जाने पर भाई-बहन, चाचा-ताऊ तथा अन्य संबंधी शहरों का रास्ता पकड़ते हैं और पहले से वहां बसे संबंधियों की सहायता से अपनी आर्थिक बेहतरी के संघर्ष में जुट जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी का आकर्षण भी गांव के महत्वाकांक्षी लोगों को शहरों की ओर ले जाता है। सूचना टेक्नोलॉजी का विस्तार इतनी तेज़ी से हो रहा है कि शहरी जीवन की चमक-दमक तथा शान-शौकत ग्रामीण लोगों पर गहरा असर डालती है और वे बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए शहरों और महानगरों में जाने के सपने देखने लगते हैं।

पलायन का एक और बड़ा कारण है सामाजिक विषमता तथा शोषण। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में जातीय विषमता की जड़ें बहुत गहरी हैं। गांवों में दलित तथा पिछड़ी जातियों के परिवारों के साथ अमानवीय आचरण किया जाता है और उन्हें सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अन्याय व असमानता का शिकार होना पड़ता है। सामाजिक हीनभावना से ग्रस्त होने की वजह से वे आर्थिक शोषण भी झेलने को मजबूर होते हैं। इन वर्गों की महिलाओं का अपमान तथा यौन शोषण आम बात है। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से दुखी होकर उपेक्षित वर्गों के लोग गांव छोड़ने में ही अपनी भलाई समझते हैं। शहर में जातीय भेदभाव की चक्की में पिसने से मुक्ति के साथ-साथ रोजगार के भी बेहतर अवसर उपलब्ध रहते हैं। यही कारण है कि गांवों से



पलायन करने वाले लोगों में अधिक संख्या इन्हीं वर्गों के परिवारों की रहती है।

प्राकृतिक आपदाएं तथा गंभीर दुर्घटनाओं के कारण भी लोग अपना स्थान छोड़ने को विवश हो जाते हैं। जब भूकंप, भूस्खलन, तूफान, सुनामी, बाढ़ या इसी तरह की प्राकृतिक आपदा में गांवों के गांव उजड़ जाते हैं या ग्रामवासियों को विस्थापित होना पड़ता है तो वे अपना गांव छोड़कर पास के कस्बों/शहरों में पलायन करना ही सुरक्षित मानते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की तरह सामाजिक/धार्मिक दुर्घटनाएं भी लोगों को पलायन के लिए विवश कर देती हैं। राजनीतिक, साम्प्रदायिक तथा जातीय हिंसा और दंगों से त्रस्त होकर भी बहुत से लोग सुरक्षित तथा शांत जीवन की तलाश में अन्य स्थानों की ओर कूच कर जाते हैं। पड़ोसी देशों के हमलों, आतंकवादी घटनाओं और पड़ोसी राज्यों में टकराव तथा हिंसक झड़पें भी पलायन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रदूषण, लगातार खराब मौसम, नदियों के रास्ते बदलने, टापुओं के समुद्र में समाहित होने अथवा समुद्री तट के कटाव आदि से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। नदियों पर बनने वाले बड़े-बड़े बांधों तथा सरोवरों के निर्माण के फलस्वरूप आबादी वाले इलाकों के डूब में आ जाने के कारण भी व्यापक स्तर पर पलायन होता है।

ऐसे सामूहिक स्थानांतरण के साथ-साथ बहुत से लोग व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारणों से भी अपना आवास बदलने का निर्णय लेते हैं। व्यापार में घाटा, चोरी-डकैती, पारिवारिक शत्रुता, किसी अपराध में लिप्त होने पर कानून से बचना, विवाह, प्रेम या अन्य कारणों से भागना, निराशा व हताशा के क्षणों में साधु आदि बनने का फैसला इसी तरह की परिस्थितियां हैं। विधिवत विवाह भी स्थानांतरण का एक प्रमुख कारण है। विवाह के बाद लड़की को पति के घर में जाकर रहना होता है। गांवों की शिक्षित लड़कियां बहुधा शहरों में ब्याही जाती हैं जिससे व्यापक रूप से पलायन होता है। आए दिन दलित महिलाओं से बलात्कार, उपेक्षित वर्गों की बस्तियों में आग लगाना, जबरन बाल मज़दूरी जैसी अन्य अनेक अवांछनीय स्थितियां हैं जो लोगों के गांव छोड़ने का कारण बनती हैं। बड़ी संख्या में विधवाएं अपना घर छोड़कर वृंदावन, बनारस, हरिद्वार तथा अन्य तीर्थ नगरियों के आश्रमों में रहने लगती हैं। असंख्य युवतियों तथा महिलाओं को बहला-फुसलाकर नौकरी दिलाने के लालच में शहरों में ले जाया जाता है और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया जाता है। गांवों और कस्बों की ये बालिकाएं हमेशा के लिए शहरी बन जाती हैं।

कई बार ऐसा पलायन भी होता है, जिसके पीछे उपर्युक्त कोई कारण नहीं होता। ये पलायन सामूहिक होते हैं। 1947 में

भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से लाखों लोग शरणार्थी बनकर आए और उन्हें विभिन्न शहरों में बसाया गया। उसके बाद भी पाकिस्तान तथा बंगलादेश के सैंकड़ों लोगों का भारत में आगमन जारी रहा। राज्यों का विभाजन होता है तो एक क्षेत्र के कर्मचारी दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। कभी-कभी किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का राजनीतिक या सामाजिक विरोध या बहिष्कार होता है तो उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ता है।

आमतौर पर पलायन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है और कुल मिलाकर इसे समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है। इस सोच के मुख्य तौर पर दो आधार हैं। एक तो परिश्रमी और प्रतिभाशाली ग्रामवासियों का शहरों में पलायन हो जाने के फलस्वरूप गांवों की सम्यक, देखभाल नहीं हो पाती और दूसरे शहरों में आबादी बढ़ जाने से बिजली, पानी, स्वच्छता जैसी नागरिक सुविधाओं पर बोझ पड़ता है। इनके अलावा और भी कई परिवर्तन आते हैं जो गांवों तथा शहरों में जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पलायन के बारे में समस्या यह है कि नगर नियोजक सही अनुमान नहीं लगा सकते कि कब कितना पलायन होगा क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कब कितने लोग बाहर से किसी नगर, ज़िले या राज्य में पहुंच जाएंगे। भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण शहरों में बसे लोग एक-दूसरे से कटे रहते हैं जिससे किसी का भय या लिहाज न रहने से अपराधवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शहरों में ज़मीन के दाम ऊंचे होने से बाहर से आने वाले निर्धन लोग सरकारी ज़मीनों या नालों, रेल पटरियों तथा सड़कों के किनारे झुग्गियां डालकर रहने को विवश होते हैं। ऐसी कच्ची कालोनियों में तरह-तरह के अपराध पनपते हैं और प्रदूषण फैलता है। अपनी स्थानीय संस्कृति तथा सामाजिक एवं पारिवारिक परंपराओं से कट जाने के कारण लोग हताशा व उदासी महसूस करते हैं तथा शराब, अफीम, ड्रग्स आदि के शिकंजे में फंस जाते हैं। शहरों में स्थानांतरित हो जाने के बावजूद लोग गांवों से नाता नहीं तोड़ पाते तथा भावनात्मक एवं आर्थिक दोनों दृष्टियों से चक्की के दो पाटों में पिसते रहते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि अधिकतर लोग बेहतर तथा अधिक सुखी जीवन के जिस सपने को लेकर शहरों की ओर पलायन करते हैं वे पूरे नहीं हो पाते। न गांव की सहज और सरल ज़िंदगी उन्हें नसीब होती है और न ही वे शहरों की शान-शौकत को हासिल कर पाते हैं। इसके विपरीत वे अमीर, शक्तिशाली व सम्पन्न लोगों का जीवन सुखी व आरामदेह बनाने के उपकरण मात्र बनकर रह जाते हैं।

पलायन के इन नकारात्मक पहलुओं के बावजूद हम इस प्रक्रिया को पूरी तरह खलनायिका घोषित नहीं कर सकते।

पहली बात तो यह है कि स्थानान्तरण पर पूर्णरूपेण अंकुश लगा पाना संभव ही नहीं है। इसलिए इसको लेकर हाय-तौबा मचाना निरर्थक है। सच तो यह है कि पलायन के बिना शहर विकसित ही नहीं हो सकते। किसी नगर के मूल निवासियों की जरूरतें बाहर से आए लोग ही पूरी करते हैं। इसलिए पलायन शहरों के लिए तो उपयोगी है ही इससे गांवों तथा गांववालों का भी भला होता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जिनमें गांवों के साधारण परिवारों के युवकों/युवतियों ने शहर में आकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ और शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय तथा राजनीति के शिखरों तक पहुंचने में सफल हुए। शहरों में जो लोग सम्पन्न हो जाते हैं वे अपने गांवों में स्कूल, पंचायत घर, तालाब आदि बनाने के लिए धन भेजते रहते हैं। ग्रामीण तथा शहरी संस्कृतियों और जीवन पद्धतियों के बीच सामंजस्य से जहां शहरों में गांवों जैसी सादगी तथा सरलता की छाया रहती है वहीं गांवों में आधुनिक सुविधाएं, विचार तथा टेक्नोलॉजी पहुंचती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग काफी हद तक जाति, धर्म की जकड़न से मुक्त हो जाते हैं और समानता तथा न्याय के वातावरण में जी सकते हैं। बाहरी लोगों के आगमन से नगर और राज्य के जनसंख्या संबंधी स्वरूप के साथ-साथ राजनीतिक समीकरणों पर प्रभाव पड़ता है जिससे लोगों में राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना पुष्ट होती है। शहर में आकर ग्रामवासियों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है और वे गांव तथा समुदाय से ऊपर उठकर स्वयं को राष्ट्र एवं समग्र विश्व की इकाई मानने लगते हैं। ऐसे अनेक प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि यदि वे गांव तक ही सीमित रहते तो उनकी प्रतिभा

विकसित नहीं हो पाती और व्यापक समाज को उसका लाभ नहीं मिल पाता। गांव तथा शहर के लोगों के इस सम्मिलन से देश की आर्थिक उन्नति, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

पलायन के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हमारे सामने हैं। किंतु इस सच्चाई को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संतुलन ही सुख की कुंजी है। एक सीमा से अधिक पलायन या स्थानान्तरण हमारे सामाजिक व राष्ट्रीय तानेबाने के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसाकि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहा करते थे, हमें गांवों में ही शहरी सुविधाएं देनी चाहिए। पलायन को एकदम रोक पाना न संभव है और न ही वांछनीय। अतः गांवों में उन सुविधाओं की व्यवस्था करने के उपाय किए जाने चाहिए जिनसे आकर्षित होकर लोग शहरों की तरफ भागते हैं। कुछ वर्ष पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू हुआ तो पलायन रोकने पर उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया। इसी तरह के कार्यक्रमों की मदद से गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर नई पीढ़ी के शहरों की ओर लपकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। किंतु इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि गांवों में सामाजिक विषमता, भेदभाव, शोषण तथा जातीय दंभ के माहौल को बदला जाए। वास्तव में पलायन या स्थानान्तरण कोई समस्या नहीं बल्कि ऐसी प्रवृत्ति और प्रक्रिया है जो एक सीमा के बाद समाज में असंतुलन पैदा कर देती है।

(लेखक भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं)
ई-मेल : setia_subhash@yahoo.co.in

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूँ/चाहती हूँ/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक दिनांक संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पता

..... पिन

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, तल-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110 066

गांवों से पलायन : कारण एवं निवारण

प्रतापमल देवपुरा

देश के गांवों में आज भी प्रचुर भूमि, खनिज, निर्माण सामग्री जैसे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। गांवों में पर्यटन आकर्षित करने वाले अनेक मनोरम स्थानों और पारंपरिक रूप से संपन्न संस्कृति का वरदान मिला हुआ है। यहां ऐसे साहसी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग हैं जो सूखा, बाढ़, भूकम्प जैसी भयानक प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते रहे हैं। देश के अनेक राज्यों के पास लिग्नाइट आधारित बिजली, पवन ऊर्जा, सोलर-थर्मल-ऊर्जा के स्रोत हैं उनका विकास किया जाए। गांवों को ऊर्जा सम्पन्न करके उस क्षेत्र के पलायन को रोका जा सकता है।

पलायन का सिलसिला कोई नया मसला नहीं है। विभिन्न कारणों से लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, एक शहर से दूसरे शहर एवं एक देश से दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं। अनेक लोग नई जगहों पर बस जाते हैं अथवा अपने पुराने स्थान पर आते-जाते रहते हैं। भारत में गांवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा है। बढ़ती आबादी के कारण पलायन की समस्या काफी उग्र हो जाने से इन दिनों यह सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। रोजी-रोटी एवं सुख-सुविधाओं

की तलाश में गांव का व्यक्ति शहरों की ओर पलायन करता है। समय रहते समस्या का हल न हो पाने के कारण शहरों पर बढ़ते दबाव से वहां की व्यवस्थाएं चरमराने लगती हैं। सरकारें जब देर से चेतती हैं तो समस्या की बहुकोणीय समझ व समाधानों का प्रयत्न आरंभ करती हैं। प्रथम जनगणना 1951 में ग्रामीण आबादी 83 प्रतिशत एवं शहरी आबादी 17 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना में यह गांवों में घटकर 68 प्रतिशत एवं शहरों में बढ़कर 32 प्रतिशत हो गई है।



पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि "पूरा" मिशन (प्रोवाईडिंग अर्बन एमेनिटिज इन रूरल एरियाज) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है। "पूरा" क्लस्टर बनाकर गांवों का उत्थान करना विकास का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा कृषि, निर्माण, सेवा क्षेत्र और शहरी उन्नयन में भी विकास की गतिविधियां चलनी चाहिए। तभी शहरों की ओर पलायन रुकेगा और लोग शहर से गांवों की ओर लौटेंगे। यहां हम पलायन के प्रमुख कारणों एवं समाधान पर विचार कर रहे हैं—

गांवों से शहर में पलायन के प्रमुख कारण

अनिश्चित रोजगार— भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है जहां लगभग छः लाख छोटे-बड़े गांव हैं। वहां की कृषि प्रकृति की कृपा पर निर्भर है। यहां मानसून की अनियमितता के कारण किसानों की पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। यदि वर्षा हो गई तो खेतीबाड़ी का काम है अन्यथा किसान एवं उसका परिवार बेरोजगार हो जाता है। दूसरी तरफ आधुनिक विकास की दौड़ में हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन का उपयोग सड़कें, भवन एवं कारखाने बनाने में प्रयुक्त हो जाने से उपजाऊ भूमि में निरंतर कमी होती जा रही है। देश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अलावा बढ़ती आबादी ने भी खेतों को बरबाद करने में कसर नहीं छोड़ी है। कृषि के लिए न तो नई भूमि का विस्तार करने और न ही उसके विकास पर ध्यान दिया गया। देश में अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। ये सभी इकाइयां प्रायः शहरों के नजदीक खेती की जमीन एवं जल स्रोतों के पास में बनीं। मशीनों से काम होने लगा तो गांव के कुटीर एवं लघु उद्योग समाप्त होते गए। इस प्रकार गांव का किसान एवं कारीगर दोनों ही बेरोजगार होकर काम की तलाश में शहर की ओर दौड़ पड़े। अशिक्षा एवं गरीबी ने उन्हें शहर-शहर ठोककर खाने को मजबूर कर दिया। जहां उनके लिए न तो रहने का ठोर, न भोजन-पानी और चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था हुई। परिवार बिखर गए और गांवों की व्यवस्था चरमरा गई।

गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव : भारत में विकास के छह दशकों की कहानी कहती है कि एक ही देश में दो भारत बनते नजर आने लगे हैं—एक ग्रामीण भारत एवं एक शहरी भारत। यह अन्तर 21 वीं सदी के प्रथम दशक में अधिक स्पष्ट होकर उभरा है। गांवों एवं शहरों के लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे — शुद्ध पेयजल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, परिवहन, बिजली, ईंधन, सड़क-संचार आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास विस्तार में जमीन-आसमान का अन्तर आया है। यह अन्तर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के कोई खास प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं। प्रजातंत्र में नियमित अन्तराल के बाद चुनाव होने पर नेतागण विकास का सब्जबाग दिखाकर पांच वर्षों के अन्तराल के लिए अर्तध्यान हो जाते हैं। तमाम तरह के शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, सड़क एवं पुल, संचार एवं यातायात साधनों व उद्योगों के केन्द्र नगर एवं महानगर ही बने हैं। गांव के लोगों में छोटे-मोटे झगड़े होने पर न्याय के लिए भी शहर की ओर रुख करना पड़ता है। गांवों में जो कुछ सुविधाएं विकसित की गई हैं वह रोजगार, भोजन, पानी प्रदान करने में नाममात्र की ही सिद्ध हो रही हैं। समय-समय पर होने वाले प्राकृतिक प्रकोप एवं बढ़ती आबादी के कारण निर्माण

एवं सुविधाएं निष्प्रभावी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अपने और नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए लोगों को शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है।

भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था : देश की सामाजिक व्यवस्था में परंपरागत जाति व्यवस्था का शिकंजा बहुत ही कठोर बन गया है। काम के आधार पर बनी वर्ण व्यवस्था ने धीरे-धीरे इतना कठोर रूप धारण कर लिया कि उसमें बदलाव करना असंभव हो गया। लम्बे विदेशी शासन ने अपनी जड़ें जमाने में जाति व्यवस्था का उपयोग किया। शोषण एवं उत्पीड़न ने उसे असह्य बना दिया। देश की आजादी के बाद भी वोट की राजनीति एवं आरक्षण व्यवस्था से सामाजिक भेदभाव बढ़ाने के लिए अतिरिक्त खाद-पानी मिलता रहा। सामाजिक स्तरीकरण से नीचे के पायदान पर गुजर-बसर करने वाले अनेक लोगों को अपने मन-मुताबिक काम करने, शादी-विवाह करने, अच्छी बस्तियों में मकान बनाने, रहन-सहन आदि कार्यों में उच्च स्तर के लोगों का दखल रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए वे गांव से निकलकर शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। आर्थिक असमानता, अशिक्षा, शोषण, अन्धविश्वास जैसे कारण भी लोगों को शहरों में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आजकल पढ़ी-लिखी लड़कियां गांवों में दुल्हन बनकर जाने को भी तैयार नहीं होती हैं परिणामस्वरूप लड़कों के समय पर विवाह हो जाने की कामना लेकर लोगों को शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। लोग अनेक प्रकार के मानसिक, आर्थिक, व्यवहारगत भेदभावपूर्ण सामाजिक यंत्रणा से मुक्त होने के लिए शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं।

गांवों से पलायन रोकने के प्रमुख उपाय

रोजगार के अवसरों में निरंतरता कायम करना: गांवों में रोजगार प्रदान करने का आज भी सबसे बड़ा क्षेत्र खेती ही है। गांवों की कृषि योग्य भूमि का दूसरे कार्यों जैसे— सड़कें, भवन, उद्योग आदि लगाने के लिए अनावश्यक रूप में अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। जबकि गांव में कृषि भूमि का विस्तार करना भी आवश्यक है। भूमि के कटाव, अवैध खनन, भूमाफियाओं से बचाव करने के प्रयत्न करना जरूरी है। खेती के लिए सिंचाई, बीज, खाद, भंडारण, विपणन आदि की सुविधाएं बढ़ाने पर निरन्तर ध्यान दिया जाना चाहिए। खेतों में बहुफसल एवं स्थायी आमदनी प्राप्त करने का प्रशिक्षण एवं सुविधाओं पर ध्यान दिया जा सकता है। यदि खेती पर ध्यान दिया जाएगा तो अधिकतर परिवारों के रोजगार में निरंतरता कायम हो सकेगी। लघु उद्योग-धंधों का विकास, प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदर्शन एवं विपणन केन्द्रों का विस्तार भी किसानों की परंपरागत दक्षता का सही उपयोग कर सकने में सहायक होंगे। ग्रामीण पर्यटन का विकास रोजगार को



बढ़ाने में सक्षम है। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना बंजर जमीन पर गांवों के आसपास की जा सकती है। जो कार्य कुटीर एवं लघु उद्योग के जरिए हो सकते हैं उन कार्यों पर मशीनीकरण को रोका जाना चाहिए। पशुपालन एवं नस्ल सुधार करके पशु औषधालय का विस्तार किया जाना चाहिए। खेती के साथ पशुपालन व्यवसाय का पूरा तालमेल बिठाया जाना चाहिए। महानरेगा योजना में भ्रष्टाचार रोककर इसके अन्तर्गत पक्के कार्यों को करवाना भी रोजगार बढ़ाने का अच्छा उपाय है।

मूलभूत सुविधाओं में विस्तार : देश में भारत निर्माण एवं मनेरगा योजना बनाने एवं लागू करने में काफी व्यापक दृष्टिकोण रखा गया है। इन योजनाओं के द्वारा सड़क, भूमि, विद्युत, संचार, पेयजल आदि सुविधाओं का विस्तार करने की पूरी गुंजाइश है।

इन योजनाओं से गांवों में रोजगार बढ़ने की पर्याप्त संभावना है। ग्रामीण स्तर पर योजना निर्माण के प्रभावी प्रयत्नों के अभाव में ये योजनाएं अपना पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। कभी-कभी विकास कार्यों में राजनीतिक दृष्टि से अन्तर किया जाकर कुछ क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे वहां की जनता को कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय प्रणाली आदि के विस्तार एवं सुदृढीकरण की महती आवश्यकता है। इन सुविधाओं के विकास से लोगों का कौशल बढ़ेगा एवं शहर भागने में होने वाली धन की बर्बादी भी रुकेगी। इन कार्यों को करने में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वे गांव में टिकेंगे एवं इन सेवाओं के अभाव में होने वाला पलायन भी रुकेगा। विद्युत आपूर्ति में नियमितता को बनाए रखने के लिए जल, वायु एवं कूड़ा-कचरा आधारित विद्युत उत्पादन की छोटी इकाइयां स्थापित किए जाने की जरूरत है।

समानता एवं न्याय आधारित समाज की स्थापना : ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सामाजिक समानता एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना किया जाना आवश्यक है। देश में चल रही विकास योजनाओं में उपेक्षित वर्गों को विशेष रियायत दिए जाने का प्रावधान है इसे ठीक तरह से लागू किया जाना चाहिए। असमानता को दूर करने के लिए शोषण, भ्रष्टाचार तथा भेदभाव को समाप्त करके लोगों को होने वाली कठिनाइयों से बचाया जा सकता है। आर्थिक सुधारों को ठीक तरह से लागू किया जाना चाहिए। जहां सख्त कानून की जरूरत है उसे बनाकर लागू किया जाना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में राजनैतिक हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी वर्षों से चल रही आवश्यक योजना को मजबूत किए जाने से खाद्यान्न एवं ईंधन आदि की वितरण प्रणाली मजबूत होगी। सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। सामाजिक न्याय आधारित व्यवस्था कायम करने

पर ही भेदभावपूर्ण व्यवस्था, शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर गांव छोड़ने वालों का पलायन रोका जा सकता है।

स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान : अनेक स्वयंसेवी संगठन देश में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर गांव के ही कुछ लोग स्वयंसेवी संगठन बनाकर गांव के लोगों की विभिन्न समस्याओं पर विचार करके समाधान निकाल सकते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन "स्वयंसहायता समूह" का निर्माण करके लोगों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें शिक्षित करने, रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने, आबादी नियंत्रण करने, नशाखोरी रोकने, आपसी सदभावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उग्रवाद-प्रभावित राज्यों में लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। पलायन के दुष्परिणामों को समझाने का प्रयत्न करें तो लोगों में यह प्रवृत्ति रुकेगी।

ग्राम पंचायत का योगदान : गांवों में चुनी हुई सरकार पंचायतें हैं। उनको संविधान में कई दायित्व दिए गए हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं-भूमियों का विकास, लघु सिंचाई, पेयजल, सड़कों-पुलियाओं का विकास, शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक कल्याण ऐसे अनेक कार्य पंचायतों की जिम्मेदारी हैं। ग्रामसभा में निर्णय करके पंचायतें अनेक सुधारों को ठीक तरह से लागू कर सकती हैं। महानरेगा, वन अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि कार्यक्रमों को लागू करने में पूरी सतर्कता एवं तत्परता बरतनी चाहिए। बीपीएल परिवारों की सूची सही बने, उन्हें उनके हक का लाभ मिले, वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखें। इस प्रकार के अनेक कार्य यदि गांव में ही ठीक प्रकार से होने लगेंगे तो गांवों से पलायन रुक सकता है।

देश के गांवों में आज भी प्रचुर भूमि, खनिज, निर्माण सामग्री जैसे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। गांवों में पर्यटन आकर्षित करने वाले अनेक मनोरम स्थानों और पारंपरिक रूप से संपन्न संस्कृति का वरदान मिला हुआ है। यहां ऐसे साहसी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग हैं जो सूखा, बाढ़, भूकम्प जैसी भयानक प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते रहे हैं। देश के अनेक राज्यों के पास लिग्नाइट आधारित बिजली, पवन ऊर्जा, सोलर-थर्मल ऊर्जा के स्रोत हैं उनका विकास किया जाए। गांवों को ऊर्जा सम्पन्न करके उस क्षेत्र के पलायन को रोका जा सकता है। किसानों, शिल्पकारों, हस्तशिल्पियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण व उद्यमिता कार्यक्रमों के जरिये ज्ञान का जुड़ाव पैदा किया जा सकता है। बैंकों की मदद, लघु ऋण और मार्केटिंग से गांवों में उद्योग शुरू होंगे तो ये सभी उपाय पलायन रोकने में मदद करेंगे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ई-मेल : pmddevpura@gmail.com

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन : कारण एवं परिणाम

डॉ. अर्जुन सोलंकी

पलायन के

प्रमुख कारण कौन से हैं? एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों जाता है? क्या ऐसा करने में उसकी इच्छा प्रबल होती है या कुछ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां होती हैं जिनसे विवश होकर पलायन ही व्यक्ति के लिए एकमात्र रास्ता रह जाता है? वैसे देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के अनेक कारण हैं। उन्हीं में से प्रमुख कारणों का उल्लेख इस लेख में किया जा रहा है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर ज्यादातर लोग गांवों में निवास करते हैं। वर्ष 1921 में ग्रामीण जनसंख्या 88.8 प्रतिशत थी जो घटकर 2011 में 68.84 प्रतिशत रह गई है। आज हमारे गांवों से शहरों की तरफ निरंतर पलायन हो रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् 1951 में हुई जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1941 से 1951 के दशक में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायनवादी प्रवृत्ति की दर अधिक रही है। इस दौरान कुल जनसंख्या का

लगभग 3.4 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके शहरी क्षेत्रों में जा बसा। इसके बाद दो दशकों तक यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम रहने के बाद सन् 1971 से 1981 के बीच पलायन की दर पुनः 3.4 प्रतिशत रही। कुल मिलाकर सन् 1901 में कुल जनसंख्या का 89.2 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता था अर्थात् केवल 10.8 प्रतिशत भाग ही शहरी क्षेत्रों में रहता था। वहीं सन् 1991 में 74.3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष 25.7 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करने लगा। इस पलायनवादी प्रवृत्ति से देश की विकास गति को निश्चित रूप से धक्का लगा



है। यह भी सर्वविदित है कि ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन भारत सरकार की विकास नीति का प्रमुख मुद्दा रहा है। इसमें भी अधिक बल ग्रामीण विकास पर, गांव में रहने वाले गरीबों की आय बढ़ाने और उन्हें रोजगार दिलाने पर दिया गया है।

जब तक देश के गांवों की हालत नहीं सुधरेगी देश का विकास सम्भव नहीं है। यद्यपि सरकारी प्रयासों से ग्रामीण जीवन के कई क्षेत्रों में परिवर्तन तो आए हैं परन्तु ये परिवर्तन स्वतंत्रता के बाद की 66 वर्ष की लम्बी समयावधि को देखते हुए आशानुकूल नहीं कहे जा



सकते हैं। साथ ही हम इस तथ्य से भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि सरकार द्वारा देश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के विकास के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं, उनमें हमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पायी है जितनी मिलनी अपेक्षित थी। आज न तो हम देश में जनसंख्या की बढ़ को रोक पाने में समर्थ हो पाए हैं, न देश के निर्धन वर्गों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों को जुटाने में सक्षम हुए हैं। गरीब और अमीर के बीच की खाई हमारी स्वतंत्रता के पश्चात् निश्चित रूप से बढ़ी है। आज देश में एक तिहाई लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन प्राप्त नहीं है। गांवों तथा शहरों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ ही पिछली सरकारों द्वारा यह दावा भी प्रस्तुत किया गया था कि गरीबी-रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या, जिसका अनुपात 1987-88 में 25.49 प्रतिशत था, 1995-96 में घटकर 19.37 प्रतिशत रह गया तथा 1991-92 के आर्थिक संकट के बावजूद आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अपनाने से देश में गरीबों को राहत मिली है। यह सही है कि सन् 1987-88 में गरीबी का अनुपात 39.3 प्रतिशत था जबकि 1973-74 में यह 54.9 प्रतिशत था। परन्तु हाल ही में योजना आयोग के सदस्य डॉ. अभिजीत सेन के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 2004-05 से 2009-10 के दौरान पांच वर्षों में देश में निर्धनता अनुपात में जहां कमी आई है, वहीं निर्धनों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में देश की कुल 100 करोड़ जनसंख्या में 37 करोड़ लोग निर्धन थे, जबकि 2009-10 में 121 करोड़ की जनसंख्या में निर्धनों की संख्या 38.5 करोड़ आकलित की गई है। इस प्रकार 2004-05 में निर्धनता अनुपात 37.2 प्रतिशत था, जबकि 2009-10 में यह 32 प्रतिशत रह गया है।

इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उधार प्रदान करके उत्पादक परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण, क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, भूमि सुधार कार्यक्रमों पर व्यय करके, ग्रामवासियों के लिए भवन, पीने का पानी और सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराकर और उनकी मुख्य आजीविका, कृषि के क्षेत्र में सहायता प्रदान करके सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों का जीवन सुधारने तथा विकास की प्रक्रिया में इन लोगों की सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित कर चुकी है। गरीबों का आय स्तर सुधारने की दृष्टि से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राईसेम), जवाहर रोजगार

योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि न जाने कितने कार्यक्रम तथा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाने के लिए क्रियान्वित कर चुकी हैं।

2 फरवरी, 2006 को केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (जिसे वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है) आरम्भ की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का अकुशल रोजगार प्रदान करना है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार का धुन इस कदर लगा हुआ है कि इससे जरूरतमंदों की जरूरत पूरी नहीं हो रही है और उन्हें रोजगार की तलाश में दर-दर की ठोकरें खाने (पलायन करने) को मजबूर होना पड़ रहा है।

पलायन के प्रमुख कारण कौन से हैं? एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों जाता है? क्या ऐसा करने में उसकी इच्छा प्रबल होती है या कुछ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, जिनसे विवश होकर पलायन ही व्यक्ति के लिए एकमात्र रास्ता रह जाता है? वैसे देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के अनेक कारण हैं। उन्हीं में से प्रमुख कारणों का उल्लेख इस लेख में किया जा रहा है।

जनसंख्या में वृद्धि

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का पहला और मौलिक कारण जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि है। इस वृद्धि का परिणाम यह होता है कि भूमि पर जनसंख्या का यह भार असाध्य प्रतीत होता है और जीवनयापन के लिए पलायन एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है।

कुटीर उद्योगों का पतन

प्राचीन भारतीय ग्रामों में कृषि के साथ ही साथ कुटीर उद्योग का आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व था। इन कुटीर उद्योगों की सहायता से व्यक्ति समृद्ध आर्थिक जीवन व्यतीत करते थे। कुटीर उद्योगों का पतन और जनसंख्या में होने वाली अत्यधिक वृद्धि के कारण भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को प्रोत्साहन मिला है।

भूमिहीन कृषक

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी किसान हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं और जो खेती तो करते हैं किन्तु जिनके पास अपनी निजी ज़मीन नहीं होती है। गांवों में भूमिहीन कृषकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अनेक व्यक्ति निर्धनता और ऋणग्रस्तता के कारण

अपनी जमीन बेच देते हैं। इन भूमिहीन कृषकों को जब गांव में कोई काम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए मात्र यही रास्ता बचता है कि आसपास के शहरों में जाकर अपनी रोजी-रोटी कमाएं। इस प्रकार किसानों का भूमिहीन होना भी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है।

ऋणग्रस्तता

ऋणग्रस्तता भारतीय ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। भारत का प्रायः प्रत्येक औसत ग्रामीण परिवार और व्यक्ति ऋणग्रस्तता का शिकार हैं। भारतीय ऋणग्रस्तता की मौलिक विशेषता यह है कि इसका ऋण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होता रहता है। इन ऋणों को चुकाने के लिए अथवा इन ऋणों से मुक्ति पाने हेतु अर्थार्जन करने के लिए भी अनेक व्यक्ति ग्रामों से शहरों की ओर पलायन करते हैं।

सामाजिक अयोग्यताएं

भारतीय ग्रामीण ढांचा अत्यन्त ही रुढ़िवादी और परम्परावादी है। यहां जाति-पाति, छुआछूत, हुक्कापानी, खानदान, बिरादरी तथा इसी प्रकार की अनेक मान्यताएं हैं। गांवों में अछूतों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय होती है तथा वे अनेक प्रकार की अयोग्यताओं एवं प्रतिबंधों के शिकार रहते हैं। साथ ही, जो व्यक्ति ग्रामीण मान्यताओं और परम्पराओं की अवहेलना करता है, उसे अनेक प्रकार के दण्ड का पात्र होना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि इन व्यक्तियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और इनके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। इनसे परेशान होकर वे गांवों की अपेक्षा शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर भागने के लिए विवश होते हैं।

संयुक्त परिवार

प्राचीन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रथा के कारण व्यक्तियों में सामूहिक जीवन का विकास होता था। आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियों और व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन प्रारम्भ हो गया है। व्यक्ति परिवारों में रहता था, तो उसे आर्थिक तथा अन्य अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। इन परिवारों के विघटन के कारण व्यक्ति के ऊपर सामाजिक तथा आर्थिक भार आ जाता है और तब इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए व्यक्ति को पलायन करना पड़ता है।

पारिवारिक कलह

वर्तमान समय में भारत के ग्रामीण परिवारों में कलह (संघर्ष) की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इस कलह के कारण भी लोगों को शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है।

धन कमाने के लिए

आधुनिक युग में धन के महत्व में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऋण के बोझ से दबे रहते हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। साथ ही, कुछ व्यक्ति कृषि की उन्नति या व्यवसायों की स्थापना के लिए भी पैसा कमाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें गांवों से शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है।

अधिक मजदूरी की आशा

गांवों में मजदूरी की दर बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त गांवों में जो मजदूरी दी जाती है वह अनाज के रूप में होती है। अनेक व्यक्ति इस आशा और विश्वास के कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं कि शहरों में उन्हें अधिक और नकद रूप में मजदूरी मिलेगी।

शहरों का आकर्षण

गांवों की अपेक्षा शहरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इन सुविधाओं में शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, सुरक्षा आदि प्रमुख हैं। शहरों का लगाव या शहरी आकर्षण के कारण भी अनेक व्यक्ति गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं।

उन्नतिशील जीवन

कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि वे शहरों में निवास करेंगे, तभी उनका भावी जीवन सम्पन्न और उन्नतिशील होगा। भविष्य के जीवन की यह आशा उन्हें शहरों की ओर स्थानान्तरित होने के लिए प्रेरित करती है।

बेरोजगारी

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कुटीर उद्योगों के समाप्त हो जाने से अनेक व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। इस बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। शहरों को रोजगार की आशा मानकर ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करती है।

अन्य कारण

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त अनेक ऐसे कारण हैं जो पलायन को प्रोत्साहन देते हैं। इन कारणों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है :-

- गांवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा के साधनों का अभाव।
- गांवों में शिक्षा का अभाव।
- सामाजिक सुरक्षा का अभाव।
- यातायात और संचार साधनों का अभाव।
- शहर, फैशन और सभ्यता के प्रतीक।
- सामाजिक दण्ड से बचने के लिए आदि।



भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन के उक्त कारणों की विवेचना से ऐसा लगता है कि शहर का आकर्षण और शहरी जीवन की सुविधाएं पलायन का कारण नहीं हैं। बल्कि पलायन का प्रमुख कारण आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं। इन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सम्बंध ग्रामीण जीवन से है। इसलिए पलायन की प्रवृत्ति गांवों से शहरों की ओर है। जहां तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन के परिणामों का प्रश्न है, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। यह व्यक्ति और समाज को एक संक्रमणकालीन परिस्थिति से गुजरने के लिए बाध्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन के प्रमुख परिणामों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है:

सांस्कृतिक संघर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन सांस्कृतिक संघर्ष को जन्म देता है। पलायन के कारण संस्कृति में जो संघर्ष हो सकते हैं, उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-

- व्यक्ति को दो संस्कृतियों के नियंत्रण का सामना करना पड़ता है। प्रथम, अपनी पैतृक संस्कृति और द्वितीय, वर्तमान पलायनवादी शहरीय संस्कृति। इसका परिणाम सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में होता है।
- दोनों सांस्कृतिक मूल्यों में संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है और व्यक्ति की वही दुर्गति होती है जो युद्ध क्षेत्र की होती है।
- व्यवहारों में भिन्नता के कारण भी संस्कृति में संघर्ष होता है। संस्कृति में संघर्ष चाहे किसी भी कारण से हो, इससे समाज का विघटन होता है और व्यक्ति के मूल्यों में गिरावट होती है।

आर्थिक विघटन

पलायनवादियों की मौलिक समस्या रोजगार प्राप्त करने की होती है। रोजगार न मिलने से उनके सामने भयंकर आर्थिक परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। परिणामस्वरूप चोरी, लूट एवं डाका आदि अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है। कभी-कभी पलायनवादियों को रोजगार तो मिल जाता है किन्तु उनकी प्रकृति के अनुकूल न होने के कारण वे अधिक दिनों तक इसे निरन्तर नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम उनके आर्थिक पतन के रूप में होता है।

धार्मिक विघटन

पलायन धार्मिक विघटन को भी प्रोत्साहित करता है। धर्म का प्राथमिक समूहों में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म और सामाजिक वातावरण अन्तः सम्बंधित होते हैं। इन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है जबकि प्राथमिक सम्बंध,

नगरों में द्वितीयक सम्बंधों का स्वरूप ग्रहण करते हैं तो धार्मिक गांठें टूटने लगती हैं। इससे संस्थात्मक विघटन प्रारम्भ हो जाता है।

पारिवारिक विघटन

नई जीवन पद्धति ने पारिवारिक संगठन को अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। शहरों में स्थानाभाव के कारण सम्पूर्ण किसान परिवार के लिए वहां रहना असम्भव हो जाता है। इसका परिणाम तलाक और पृथक्करण के रूप में होता है। कुछ भी हो पलायन कम या अधिक मात्रा में पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन देता है।

आत्महत्या

दुर्खीम ने आत्महत्या के लिए निम्न दो कारणों का उल्लेख किया है—

- व्यक्ति का सामाजिक एकीकरण और
- व्यक्ति के सामूहिक लगाव में कमी।

पलायन ऐसा कारक है जो पारिवारिक और सामूहिक ढांचे को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति आर्थिक उन्नति के लिए पलायन करता है, तो इससे व्यक्तिगत विघटन होता है। सामंजस्य के अभाव में व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है।

नैतिक पतन

पलायनवादी प्रवृत्ति का परिणाम यह होता है कि इससे व्यक्ति और समाज का नैतिक पतन होता है। शहरों में जाकर वे परिवार, पड़ोस, धर्म आदि के नियंत्रणों से मुक्त हो जाते हैं। परिवार से दूर रहते हैं और अपनी यौन की मूलभूत इच्छा को दबाने में असमर्थ रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे वैश्यागमन का सहारा लेते हैं। कारखानों में दिनभर काम करके वे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति नष्ट कर देते हैं। परिवार के अभाव में उन्हें स्वस्थ मनोरंजन नहीं मिल पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे जुआ, सट्टा और मद्यपान का सहारा लेते हैं और इससे उनका नैतिक पतन होता है।

निम्न स्वास्थ्य स्तर

पलायन के परिणामस्वरूप श्रमिकों का स्वास्थ्य स्तर निम्न से निम्नतर होता जाता है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं जो इस प्रकार हैं:-

- श्रमिकों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है।
- उन्हें भरपेट पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, और
- उनके काम करने की दशाएं अत्यन्त ही अस्वास्थ्यकर होती हैं।

इससे श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वे मानसिक रूप से चिन्तित रहने लगते हैं। इसके साथ ही वे अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।

कार्यक्षमता में ह्रास

शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के काम करने की दशाएं अत्यन्त ही अस्वास्थ्यकर होती हैं। इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। वे अनेक संक्रामक और गम्भीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिकों की शारीरिक और मानसिक क्षमता का ह्रास होने लगता है।

उत्पादन में बाधा

पलायनवादी प्रवृत्ति के निम्न दो परिणाम होते हैं :-

- पलायन के कारण उनकी कुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती है और
- पलायन के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में यह अनिश्चितता बनी रहती है कि किस दिन कितने मजदूर काम पर आएंगे।

इससे उत्पादन कम होता है, उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय हानि होती है।

सुविधाओं से वंचित

श्रमिकों की पलायन प्रवृत्ति उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। श्रमिकों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे दो प्रकार की होती हैं :-

- कल्याणकारी और
- सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित।

किन्तु ये सुविधाएं सिर्फ उन्हीं श्रमिकों को प्राप्त होती हैं, जो एक निश्चित समय तक काम करते हैं। इस प्रकार पलायन करने वाले श्रमिक उक्त सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

बेरोजगारी का भय

पलायन से बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी के बढ़ने का भय भी उत्पन्न हो जाता है। मजदूर जब भी कारखानों से छुट्टी लेकर गांव जाते हैं, तो छुट्टी की समाप्ति पर अपने काम पर नहीं लौटते हैं और छुट्टियों में वृद्धि करते रहते हैं। जब वे लम्बे अर्से तक काम पर नहीं लौटते हैं, तो उनके स्थान पर नई नियुक्तियां कर दी जाती हैं। इससे बेरोजगारी के बढ़ने का भय उत्पन्न हो जाता है।

श्रम संघों के विकास में बाधा

पलायन का परिणाम यह होता है कि श्रमिक स्थायी तौर पर एक स्थान पर नहीं रह पाते हैं, इससे वे श्रमसंघों की सदस्यता को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके दो परिणाम होते हैं जो इस प्रकार हैं :-

- श्रम संघों की सदस्यता में कमी आती है, और
- इससे श्रमिकों का संगठन शक्तिशाली नहीं हो पाता है, जिससे श्रमिक अपनी समस्याओं के समाधान में असमर्थ रहते हैं।

अस्थिर जीवन

पलायन का परिणाम यह होता है कि इससे श्रमिकों का जीवन अस्थिर हो जाता है। वे कभी शहरों में रहते हैं, तो कभी गांवों में, कभी उद्योगों में काम करते हैं, तो कभी कृषि कार्यों का सम्पादन करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने को अनिश्चित परिस्थिति में पाते हैं। फलस्वरूप उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन अत्यन्त ही अस्थिर हो जाता है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पलायन आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या है। परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म और विकास हो रहा है। वैसे सही मायने में देखा जाए तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधारने एवं वहां से हो रहे पलायन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं परन्तु इन सबसे उतना लाभ नहीं मिला, जितना अपेक्षित था। पलायन की अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा एवं दूसरी ओर शहरों की व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी। वर्तमान में दिल्ली और मुम्बई जैसे शहरों पर बढ़ते आर्थिक बोझ के लिए पलायन प्रवृत्ति काफी हद तक जिम्मेदार है और गहराई से सोचे तो पलायन का मूल कारण देश का असंतुलित विकास होना है।

अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र)

माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर, कन्या महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

ई-मेल : arjun.solanki52@yahoo.com

**कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7**

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)


रोजगार नहीं होना पलायन का मुख्य कारण

विकास कुमार सिन्हा

अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी ये तीन प्रमुख कारण हैं जो पलायन का कारण बनते हैं। गांवों में न शिक्षा का माहौल है और न ही रोजगार का कोई साधन। इस कारण निर्धनता के कारण लोग पलायन को विवश हो जाते हैं। ग्रामीणों को आशा रहती है कि उन्हें महानगरों में जीवन की सभी सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। महानगरों का दिवास्वप्न ही उन्हें गांवों से शहरों की ओर भटकाता है। अगर मनरेगा के तहत सभी लोगों को उचित व योग्यता के लायक रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए, तो लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर के राज्यों में पलायन नहीं करेंगे। इससे उनकी सभ्यता व संस्कृति बचेगी साथ ही उनके पूरे समाज का विकास होगा।

भारत एक विशाल जनसंख्या और वर्ग क्षेत्रफल वाला देश है। जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। आजादी के वक्त देश में कुटीर उद्योग को प्रधानता देने की बात कही गई थी। लेकिन पूरे देश में यह लागू नहीं हो पाया। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य

जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना सरकार का परम कर्तव्य है। लेकिन देश की आजादी के बाद ऐसा संभव नहीं हुआ। गांधीजी खुद ही खादी सहित कुटीर उद्योगों की प्रधानता की बात किया करते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात किया करते थे। लेकिन उनका यह सपना धरातल पर नहीं उतारा जा सका। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अब तक अधूरा रहा है।



अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी ये तीन प्रमुख कारण हैं जो पलायन का कारण बनते हैं। गांवों में न शिक्षा का माहौल है और न ही रोजगार का कोई साधन। इस कारण निर्धनता के कारण लोग पलायन को विवश हो जाते हैं। ग्रामीणों को आशा रहती है कि उन्हें महानगरों में जीवन की सभी सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। महानगरों का दिवास्वप्न ही उन्हें गांवों से शहरों की ओर भटकाव कराता है। देश के जो राज्य उग्रवाद प्रभावित हैं, उन राज्यों में पलायन की दर भी ज्यादा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिसा व मध्यप्रदेश आदि राज्यों में यह पलायन दर ज्यादा है। इन

राज्यों में अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी चरम पर है। इन राज्यों के ग्रामीण बाहर के महानगरों में काफी संख्या में पलायन करते हैं।

भारत सरकार के जनगणना विभाग के अनुसार देश में वर्ष 1991 से 2001 के बीच करोड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने शहरों की ओर पलायन किया। रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा ग्रामीण महानगरों को जा रहे हैं। अगर निवास-स्थान को आधार माना जाए, तो वर्ष 1991 से 2001 के बीच 30 करोड़ 90 हजार लोगों ने अपने घरों को छोड़ा। यह आंकड़ा देश की जनसंख्या का 30 प्रतिशत है। इसी तरह वर्ष 1991 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2001 में पलायन करने वालों की संख्या में 37 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा हुआ है।

पलायन से संबंधित जो आंकड़े मिले हैं, वे चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों को आधार माना जाए, तो महाराष्ट्र में आने वालों की संख्या जाने वालों की संख्या से 20 लाख ज्यादा है। इसी तरह हरियाणा में जाने वालों से ज्यादा आने वालों की संख्या 67 लाख और गुजरात में 68 लाख है। इसी तरह उत्तर प्रदेश से जाने वालों की संख्या यहां आने वाली संख्या से 20 लाख से ज्यादा है। बिहार में भी आने वाले लोगों से ज्यादा जाने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इसका तात्पर्य उत्तर प्रदेश व बिहार से पलायन करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है जो बाहर के महानगरों में काम की खोज में जाते हैं।

पलायन के मुख्य कारण

देश में पलायन के कई कारण मौजूद हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा व बेरोजगारी है। गांवों में शिक्षा का संस्थागत ढांचा नहीं रहने के कारण ग्रामीण शिक्षित नहीं हो पाते हैं। अशिक्षा उन्हें मजदूरी व अन्य काम करने को विवश करती है। ग्रामीण अच्छे व बुरे को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें अपने पेट भरने के लिए काम की दरकार होती है। ऐसे में गांवों के गरीब परिवारों को मजदूरी करनी पड़ती है। इन्हें गांव के नजदीक मजदूरी नहीं मिलने के कारण ये महानगरों व बड़े शहरों में पलायन करते हैं। इसके अलावा शिक्षित ग्रामीणों को भी नौकरी नहीं मिल पाती है। उन्हें भी नौकरी के कारण बाहर के शहरों में पलायन करना होता है। सरकार द्वारा भी स्थानीय स्तर पर नौकरी की सुविधाएं मुहैया नहीं करायी गई हैं। इस कारण भी गांवों से लोग महानगरों की ओर पलायन को विवश होते हैं।

सकारात्मक पहलू भी है पलायन

देश में पलायन सकारात्मक पहलू के रूप में भी उभरा है। भारत के जिन राज्यों ने उच्च जीडीपी दर को प्राप्त किया है उसका एक कारण पलायन कर आए मजदूर भी हैं। पंजाब में

बिहार से आए खेतिहर मजदूरों ने पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। बिहार के कोशी प्रमंडल सहित कई जिलों से खेतिहर किसान बाढ़ के कारण पलायन कर जाते हैं। इन मजदूरों को आसानी से पंजाब व हरियाणा के खेतों में काम मिल जाता है। पिछले 20 वर्षों में पंजाब व हरियाणा के खाद्यान्न के रूप में जो आत्मनिर्भरता पाई है, उसका सबसे प्रमुख कारण पलायन कर आए खेतिहर किसान हैं। पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों के पास ज्यादा दर में खेती लायक जमीन उपलब्ध है। इसी तरह गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने में पलायन किए गए मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गुजरात जैसे राज्य में बड़े कल-कारखाने स्थापित हैं। इन कारखानों में काम करने वालों की जरूरत होती है। गुजरात में सस्ती दर पर मजदूर मिल जाते हैं। बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से मजदूर व शिक्षित लोग पलायन कर गुजरात चले जाते हैं, जो गुजरात जैसे राज्य के विकास में अहम योगदान भी निभा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कुटीर उद्योग को प्रधानता दी जाती तो आज स्थिति इसके उलट होती। पशुपालन को भी सरकार ने प्रधानता नहीं दी। इस कारण वर्तमान परिदृश्य में ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की दर ज्यादा है। पलायन की मुख्य वजह रोजगार न होना है। अगर गांवों में रोजगार उपलब्ध करा दिए जाएं, तो पलायन रुक सकेगा।

गांवों में बदल रहा है परिदृश्य

देश के जिन राज्यों में मनरेगा, शिक्षा परियोजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर ईमानदारीपूर्वक उतारी गईं, उन क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों के युवा शहरों की ओर न भागकर खुद के गांव में रोजगार कर रहे हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई युवा शिक्षा परियोजना, सर्वशिक्षा अभियान, मनरेगा सहित कई कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ गए हैं। यह उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में हो पाया है जिन क्षेत्रों में इन योजनाओं का ईमानदारीपूर्वक क्रियान्वयन किया गया। हालांकि बेरोजगारों की इस भीड़ में सरकारी योजनाओं से मिलने वाले रोजगार की संख्या काफी कम है। फिर भी गांवों के परिदृश्य में परिवर्तन जरूर आया है।

कुटीर उद्योगों से ही बहुरंगे दिन

देश में पलायन खत्म करना हो, या फिर इसकी रफ्तार की गति धीमी करनी है, ऐसा केवल कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से ही संभव होगा। आज हम कुटीर उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि युवा वर्ग शहरों की चकाचौंध की दुनिया में अपने को जाने से नहीं रोक पाते हैं।



सममेव जयते

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

सबका साथ


68वां
15

एक भारत - श्रेष्ठ

- सबका विकास



स्वतंत्रता दिवस
अगस्त, 2014



सशक्त भारत की ओर
सशक्त कदम



ठ भारत



शहरों की इस चकाचौंध की दुनिया में युवा अपने गांव के सुकून की जिंदगी को खो देते हैं लेकिन रोजगार की मजबूरी उन्हें गांवों को लौटने नहीं देती।

अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुकेगा। और घरों में ही लोगों को रोजगार मिलेंगे।

झारखंड के परिदृश्य में देखें, तो आदिवासी-बहुल इस राज्य में ऐसे आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है जो अशिक्षित हैं। हालांकि इनकी सभ्यता व संस्कृति काफी सृढ़ है लेकिन अशिक्षा के मकड़जाल में फंसे होने के कारण यहां के किशोर व किशोरी बाहर के महानगरों में पलायन करते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि वर्षों से खोयी किशोरी का आज तक पता ही नहीं चल पाया है। प्लेसमेंट एजेंसी यहां की किशोरियों को बाहर के महानगरों में बेच रही हैं। ऐसी राज्य सरकार के पास रिपोर्ट भी है। लेकिन जिन गांवों में मनरेगा का सही रूप से क्रियान्वयन हो रहा है, झारखंड के उन क्षेत्रों में पलायन अवश्य ही रुका है। हमें सरकारी कार्यक्रम और पशुपालन को आगे बढ़ाना होगा, तब ही क्षेत्र से पलायन की रफ्तार धीमी होगी।

पलायन का बदलता परिदृश्य

देश में युवाओं की एक बड़ी फौज है। जनसंख्या रिपोर्ट पर प्रकाश डाले, तो एक बड़ी आबादी 16 से 25 आयु वर्ग की है। यह युवा वर्ग साहसी हैं और अपने आप मजबूत निर्णय लेते हैं। युवा वर्ग में इंजीनियरों, फैशन डिजाइनरों सहित कई प्रोफेशनल स्कील से भरे पड़े हैं। यह युवा वर्ग गांवों, कस्बों या जिलों से निकल कर नगरों और महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इनके स्किल ने एक अलग पहचान दी है। अब गंगा किनारे का युवा या फिर घनघोर जंगलों के बीच बसे गांवों में पले-बढ़े युवाओं की अंगुलियां कंप्यूटर पर चला करती हैं। यह युवा वर्ग नगरों में अपनी जमीन तलाश रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन लाजिमी है।

लड़कियों में है आत्मविश्वास

देश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियां भी



आत्मविश्वास से लबरेज हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में युवतियां साईकिल चलाकर स्कूल पहुंच रही हैं। इससे एक लाभ यह हो रहा है कि जहां लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। लड़कियां पढ़-लिखकर निर्णय ले रही हैं। अब वह बुआ और चाची के इशारों पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के निर्णय वह खुद ले रही हैं। आज ग्रामीण व कस्बायी इलाकों से आने वाली लड़कियों की आबादी ज्यादा है, जो अपना मुकाम और नई पहचान बना रही हैं।

किशोरियों का पलायन दुर्भाग्यजनक

झारखंड, ओडिसा व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से किशोरियों का पलायन होना दुर्भाग्यजनक है। झारखंड के सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, संताल परगना समेत कई अन्य जिलों से बाहर के महानगरों में काम करने के लिए किशोरियों को दलालों के हाथों बेच दिया जाता है। ये किशोरी लड़कियां शहरों में काम करने तो जाती हैं, लेकिन वापस वे कभी घर को नहीं लौट पाती हैं। इस तरह के कई मामले झारखंड के थानों में दर्ज हैं।

लड़कियों की तस्करी का सिलसिला झारखंड में बदस्तूर जारी है। दिसंबर महीने में एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से चाईबासा की पांच किशोरियों को दिल्ली से एक व्यवसायी के घर से मुक्त कराकर चाईबासा लाया गया। इस तरह के कई उदाहरण झारखंड में देखने को मिल जाते हैं। यही हाल छत्तीसगढ़ व ओडिसा का भी है। छत्तीसगढ़ व ओडिसा में भी गरीबी व

बेरोजगारी ज्यादा है। इन राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी है। इस कारण लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं।

मनरेगा में पारदर्शिता लाने की जरूरत

देश में पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण स्तरों पर मनरेगा की पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन की जरूरत है। आंध्रप्रदेश व राजस्थान को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में मनरेगा में धांधली व अनियमितता की शिकायत मिलती रहती हैं। अगर मनरेगा के तहत सभी लोगों को उचित व योग्यता के लायक रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए, तो लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर के राज्यों में पलायन नहीं करेंगे। इससे उनकी सभ्यता व संस्कृति बचेगी साथ ही उनके पूरे समाज का विकास होगा।

झारखंड में मनरेगा के तहत सभी 24 जिलों में काम कराए जा रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार मिला है। आंकड़े दर्शाते हैं कि मनरेगा के तहत अगर सही संख्या में लोगों को काम दिया जाए, तो पलायन रुकेगा। वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक चार वित्तीय वर्षों में कुल 64.02 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए कुल 2872.66 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में केंद्र सरकार ने कुल 3103.09 करोड़ रुपये का बजट पारित किया। इसमें केंद्र सरकार ने 3978.97 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी है। बाकी की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है। इस वित्तीय वर्ष में कुल राशि 191628 करोड़ रुपये हुई। इस मनरेगा से पलायन में कमी आयी है। साथ ही लोगों को रोजगार भी मिले।

हालांकि मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया। बावजूद झारखंड से पलायन जारी है। पलायन की रफ्तार भले धीमी हो। इस संबंध में झारखंड के वरिष्ठ समाजशास्त्री

प्रो. सुरेंद्र पांडेय व टीआरआई के रिसर्च स्कॉलर डॉ यूके वर्मा के अनुसार मनरेगा के तहत रोजगार तो उपलब्ध करा दिए गए हैं लेकिन योग्य व दक्ष लोगों की योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया है। इस कारण झारखंड से पलायन जारी है। बालिकाओं को रोजगार के लिए दलालों के हाथों बेचना व महानगरों में काम के लिए परिवारों द्वारा भेजने के पीछे अशिक्षा व स्थानीय स्तर पर काम का नहीं होना है। इसके तहत काफी प्रयास किए जाने की जरूरत है।

प्रचार-प्रसार की जरूरत

पलायन को रोकने के लिए सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है। बिहार, झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगढ़ सहित उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सुदूरवर्ती गांवों में विकास के काम थम गए हैं। सुदूरवर्ती गांवों में विकास योजनाओं में काम नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। सरकार को इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं में गति प्रदान करने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार सुदूरवर्ती गांवों में पलायन के दुष्प्रभावों के बारे में बताए। सरकारी एजेंसियां पलायन कर गए लोगों की कहानियां नुक्कड़-नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश करें। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रंगमंच से भलीभांति परिचित हैं। लोग नुक्कड़-नाटक को देखना भी पंसद करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार का माध्यम नुक्कड़-नाटक व रंगमंच को बनाएं जिससे लोग आसानी से समझ सके। छोटे शहरों में होर्डिंग्स व पोस्टरों के जरिए भी प्रचार-प्रसार करें। इन विज्ञापनों के जरिए लोग पलायन के दंश को समझ सकेंगे। सरकार रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बनाए।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल : bikashsinha5@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई-मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है - वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110001, आप हमें लेख ई-मेल भी कर सकते हैं।

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

CL हॉल ऑफ फेम

सिविल सेवा '13 की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ -241 (सामान्य श्रेणी) था आप 241 में से 190 अंक GS II (CSAT) में ही प्राप्त कर सकते हैं बहुत से CL विद्यार्थियों ने ऐसा कर दिखाया

CL पंजीकरण संख्या	विद्यार्थी का नाम	यूपीएससी अनुक्रमांक	CSAT प्राप्तांक (200 में से)	CSAT प्रतिशत	सिविल सेवा (ग्र.) 2013 के कट ऑफ (241) में CSAT के प्राप्तांक का प्रतिशत
1988094	अभिषेक आनंद	225650	194.18	97.1	80.6
2699229	राज कमल रंजन	220538	190.83	95.4	79.2
5619304	शुजीत वेत्तुमुला	044017	190	95.0	78.8
5619556	रोख रद्दमान	181495	190	95.0	78.8
5619239	प्रशांत जैन	322447	190	95.0	78.8
5619441	रविंदर जैन	327293	190	95.0	78.8
494563	शरत थोटा	083223	190	95.0	78.8
5293707	आशीष सांगवान	011764	188.33	94.2	78.1
5597674	रानाधीर अल्फू	136150	187.5	93.8	77.8
2387378	श्रीकांत रेड्डी	188130	187.5	93.8	77.8
5619612	गरुण सुमित सुनील	361061	187.5	93.8	77.8
2387056	प्रतीक वमसी गुर्रम	164567	187.5	93.8	77.8
5597676	मुरलीधर कोमीशेट्टी	033471	187.5	93.8	77.8
5597844	अर्पित शर्मा	103316	187.5	93.8	77.8
3013398	विनीत कुमार	241717	187.5	93.8	77.8
5293702	रतोन्न सिंह	006643	186.68	93.3	77.5
5099681	पंकज मित्तल	153106	186.68	93.3	77.5
3012296	अनुवीप द्वीशेट्टी	123528	186.68	93.3	77.5
2387152	प्रेम अक्वला	539516	185.83	92.9	77.1
5597689	आकाश द्वे	020889	185	92.5	76.8
2387786	नरसिम्हा पालाशानी	109847	185	92.5	76.8
3013337	गौरीशंकर डी	404474	185	92.5	76.8

और भी बहुत से...

CSAT '15 के लिए CL से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें

सिविल सेवा परीक्षा '13 के टॉप 10 में से 6 CL विद्यार्थी हैं



गौरव अग्रवाल
CL पंजीकरण संख्या: 3540934
(सीएल एमबीए प्रेप विद्यार्थी)




रविचंद्र राज
CL पंजीकरण संख्या: 1035692



सानी साहनी
CL पंजीकरण संख्या: 5293711



जॉनी टी वर्गीश
CL पंजीकरण संख्या: 5293820



दिव्यांशु झा
CL पंजीकरण संख्या: 4088566



मेधा रूपम
CL पंजीकरण संख्या: 10017630

और भी बहुत से...

80+* CL विद्यार्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा 2013 में सफलता प्राप्त की

प्रवेश जारी है

GS और CSAT '15 बैच के लिए

f/CLRocks



CL

Civil Services
Test Prep

www.careerlauncher.com/civils

नये बैचों की जानकारी हेतु अपने निकटतम CL सिविल केंद्र से संपर्क करें

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन - 41415241/46

ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन - 42375128/29

बैर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन - 26566616/17

गाजियाबाद: सी-27, द्वितीय तल, आरडीसी मार्केट, राजनगर (बीकानेर स्वीट्स के सामने), फोन - 0120-4380996

अहमदाबाद: 9879111881 | इलाहाबाद: (0)9956130010 | बंगलुरु: 41505590 | भोपाल: 4093447 | भुवनेश्वर: 2542322 | चंडीगढ़: 4000666 | चेन्नई: 28154725

हैदराबाद: 66254100 | इन्दौर: 4244300 | जयपुर: 4054623 | लखनऊ: 4108009 | नागपुर: 6464666 | पटना: 2678155 | पुणे: 32502168

KH-160/2014

पलायन : गरीबी और बेरोजगारी

सुनील कुमार ठाकुर

सरकार

गांवों को अधिक से अधिक सुविधा

सम्पन्न बनाना चाहती है ताकि गांवों से शहरों की तरफ पलायन को रोका जा सके। सरकार के इस प्रयास में कुछ स्वयंसेवी संगठनों की ओर से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ये संगठन गांवों के बेरोजगारों को रोजगार के नए-नए साधन उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी योजनाओं की ओर से जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि अब ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन कम होता नजर आ रहा है। 'भारत निर्माण' और 'मनरेगा' इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

भारत में गांव से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति ज्यादा है। इस पलायनवादी प्रवृत्ति के चलते कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक तरफ शहरों में पलायन से कई

अराजकताओं का लगातार विस्तार हो रहा है जिसमें सामाजिक अपराध, प्रदूषण और यातायात की समस्या आम है तो दूसरी तरफ गांवों में भी पलायन से कई सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसमें सामाजिक सौहार्द में कमी और सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं के विघटन की समस्या प्रमुख है। ऐसे में ग्रामीण पलायन रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास जरूरी है।

'पलायन की समस्या से कैसे निपटा जाए', इससे पहले इस पर विचार करना जरूरी है कि पलायन के पीछे मुख्य कारण क्या है। जाहिर तौर पर पलायन किसी एक कारण से होने वाले घटक का परिणाम नहीं है। इसके साथ कई सामाजिक कारण जुड़े होते हैं। पलायन का मुख्य मकसद आकांक्षाओं की पूर्ति और अवसर की उपलब्धता होता है।

वैसे गांवों से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला कोई नया मसला नहीं है। गांवों में कृषि भूमि के लगातार कम होते जाने, आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों-कस्बों की ओर मुंह करना पड़ा। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक दूसरा बड़ा कारण है। अशिक्षा एवं बेरोजगारी भी पलायन का प्रमुख कारण है। साथ ही गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर भी बहुत से लोग शहरों का रुख कर लेते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार 'शहरों को गांवों में ले जाकर ही ग्रामीण पलायन पर रोक लगाई जा सकती है,' और ये सच भी है। इसी तथ्य के





मद्देनजर अब गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाओं का विकास हो रहा है। सरकार गांवों को अधिक से अधिक सुविधासम्पन्न बनाना चाहती है ताकि गांवों से शहरों की तरफ पलायन को रोका जा सके। सरकार के इस प्रयास में कुछ स्वयंसेवी संगठनों की ओर से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ये संगठन गांवों के बेरोजगारों को रोजगार के नए-नए साधन उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी योजनाओं की ओर से जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि अब ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन कम होता नजर आ रहा है। 'भारत निर्माण' और 'मनरेगा' इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने की सबसे महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है। रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाली यह योजना भारत ही नहीं समूचे विश्व की अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है। इसमें रोजगार के रहित सभी परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का काम पाने की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा देशभर में ग्रामीण पलायन रोकने में महत्वपूर्ण अस्त्र साबित हो रहा है। केन्द्र सरकार ने ग्रामीण जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाने के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम भी चलाया है जिसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाएं जुटाने की योजनाएं चलाई गई हैं। भारत निर्माण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण टेलीफोन योजना शुरू की गई। गांवों में बिजली की आपूर्ति भी भारत निर्माण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। ये योजनाएं बेहद सफल साबित हुई हैं। यह भी सच है कि मनरेगा सहित अन्य सरकारी योजनाओं में कुछ अनियमितता के मामले भी सामने आए हैं। इन पर रोक लगाने के लिए मनरेगा को पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करने की जरूरत है।

अगर मनरेगा अथवा अन्य योजनाओं के तहत ग्रामीणों को उचित व योग्यता के मुताबिक रोजगार गांवों में ही उपलब्ध करा दिया जाए तो लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर के राज्यों में पलायन नहीं करेंगे। इससे उनकी सभ्यता एवं संस्कृति बचेगी, साथ ही उनके पूरे समाज का विकास होगा। सरकारी एजेंसियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पलायन के दुष्प्रभावों के प्रचार-प्रसार की भी जरूरत है। सुदूरवर्ती गांवों में विकास योजनाओं में काम नहीं होने के कारण भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं में गति लाए।

ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम गांवों में रोजगार के अवसर निरंतरता के साथ उपलब्ध कराए जाएं जिससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा तो मिलेगी साथ ही वे स्वतः

अपनी जीवनशैली में सुधार करेंगे। मनरेगा, भारत निर्माण कार्यक्रम और स्वयंसेवायता समूहों के जरिए इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, उन्हें और तेज करने की जरूरत है। साथ ही सरकार द्वारा लागू लोक कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा हथिया न ली जाए, इस पर भी कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।

भारत सरकार के जनगणना विभाग के अनुसार देश में वर्ष 2001 से 2011 के बीच करोड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने शहरों की ओर पलायन किया। रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा ग्रामीण महानगरों की ओर जा रहे हैं। अगर निवास स्थान को आधार माना जाए तो लगभग 30 करोड़ 90 हजार लोगों ने अपने घरों को छोड़ा।

देश में महाराष्ट्र से सबसे अधिक ग्रामीण लोगों ने शहर की ओर पलायन किया है। उसके बार क्रमशः हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार है, जहां की आबादी ने शहरों की ओर पलायन किया है।

पलायन के मुख्य कारण

देश में पलायन के कई कारण मौजूद हैं। इसमें सबसे अधिक अशिक्षा व बेरोजगारी है। गांवों में शिक्षा का संस्थागत ढांचा नहीं रहने के कारण ग्रामीण शिक्षित नहीं हो पाते हैं। अशिक्षा उन्हें मजदूरी व अन्य काम करने को विवश करती है। ग्रामीण अच्छे व बुरे को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें अपने पेट भरने के लिए काम की दरकार होती है। ऐसे में गांवों के गरीब परिवारों को मजदूरी करनी पड़ती है। इन्हें गांव के नजदीक मजदूरी नहीं मिलने के कारण ये महानगरों व बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसके अलावा शिक्षित ग्रामीणों को भी नौकरी नहीं मिल पाती है। उन्हें भी नौकरी के कारण बाहर के शहरों में पलायन करना होता है। सरकार द्वारा भी स्थानीय स्तर पर नौकरी की सुविधाएं मुहैया नहीं करायी गई हैं। इस कारण भी गांवों से लोग महानगरों की ओर पलायन को विवश होते हैं।

गांवों से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। गांवों में कृषि भूमि के लगातार कम होते जाने, आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों-कस्बों की ओर मुंह करना पड़ा। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक दूसरा बड़ा कारण है। गांवों में रोजगार और शिक्षा के साथ-साथ बिजली, आवास, सड़क, संचार, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं शहरों की तुलना में बेहद कम हैं। इन बुनियादी कमियों के साथ-साथ गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर भी बहुत से लोग शहरों का रुख कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन कारणों और परिस्थितियों को

दूर करने की दिशा में प्रयास नहीं किया है। इस संदर्भ में जैसाकि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विभिन्न प्रकारों में एक “हिजरत” था। ‘हिजरत’ का अर्थ है अपने स्थायी व परम्परागत निवास स्थान को स्वेच्छा से छोड़कर अन्य किसी इलाके में जाकर बस जाना। ऐसे व्यक्तियों द्वारा हिजरत के मार्ग को अपनाया जाना चाहिए। जो अपने मूल निवास स्थान पर आत्मसम्मानपूर्ण ढंग से रहने में असमर्थ हो तथा दुःखी हो, और जो अन्याय के विरोध में न तो सत्याग्रह करने का नैतिक बल रखते हो और न हिंसात्मक विरोध की शक्ति रखते हो। अतीत में उग्र अत्याचार से पीड़ित इजराइल के निवासियों ने हिजरत का प्रयोग किया था और वे अन्यत्र जाकर बस गए थे। गांधीजी ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए 1928 में बारदोली के सत्याग्रहियों को, 1935 में केंथा के हरिजनों को तथा 1939 में लम्बड़ी विहलगढ़ से जूनागढ़ की जनता को हिजरत के साधन को अपनाने की सलाह दी थी। हिन्दी के प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचन्द ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास “गोदान” में लगभग 85 वर्ष पूर्व “गांव छोड़कर शहर जाने की समस्या” को उठाया था।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना पलायन कहलाता है। लेकिन यह पलायन की प्रवृत्ति कई रूपों में देखी जा सकती है जैसे एक गांव से दूसरे गांवों में, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव। परन्तु भारत में “गांव से शहरों” की ओर पलायन की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा है। एक तरफ जहां शहरी चकाचौंध, भागमभाग की जिन्दगी, उद्योगों, कार्यालयों तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर परिलक्षित होते हैं। शहरों में अच्छे परिवहन के साधन, शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं ने भी गांव के युवकों, महिलाओं को आकर्षित किया है। वहीं गांव में पाई जाने वाली रोजगार की अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव ने लोगों को पलायन के लिए प्रेरित किया है।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि “हमारी योजनाओं का केवल 15 प्रतिशत धन ही आम आदमी तक पहुंच पाता है।” देश के किसी गांव में दिल्ली से भेजा गया एक रुपया वहां पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह शेष राशि 75 पैसे कहां चले जाते हैं। इसका एक ही जवाब है कि वह राशि भ्रष्टाचार रूपी मशीनरी द्वारा हजम कर ली जाती है।

पंचायतों के अस्तित्व में आ जाने के बाद सरकार के पास ऐसी बड़ी मशीनरी खड़ी हो जाती है जो बिना खर्च के कार्य करने के लिए तत्पर रहती है, जिसमें जनता का विश्वास निहित होता है।

ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और भुखमरी हटाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और शहरी अन्तर कम करने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सुदृढ़ करना जरूरी है। इसलिए सरकार की ओर से एक नई पहल की गई। गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए पूर्व में अनेक प्रावधान किए हैं। सरकार की कोशिश है कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। उन्हें गांव में ही शहरों जैसी आधारभूत सुविधाएं मिले।

2 फरवरी, 2006 को देश के 200 जिलों में “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ है कि ग्रामीणों का पलायन रुका है। लोगों को घर बैठे काम मिल रहा है और निर्धारित मजदूरी भी। मजदूरों में इस बात की खुशी है कि उन्हें काम के साथ ही सम्मान भी मिला है। कार्यस्थल पर उनकी आधारभूत जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है।

शहरों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

औद्योगीकरण शहरीकरण की पहली सीढ़ी है। आजादी के बाद भारत ने देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के इरादे से छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना का अभियान चलाया। ये सभी उद्योग शहरों में लगाए गए जिसके कारण ग्रामीण लोगों को रोजगार की तलाश एवं आजीविका के लिए शहरों में पलायन करना आवश्यक हो गया।

नगरीय चकाचौंध

भारत में गांवों से शहर की ओर पलायन की प्रवृत्ति बेहद ज्यादा है। जहां गांव में विद्यमान गरीबी, बेरोजगारी, कम मजदूरी, मौसमी बेरोजगारी, जाति और परम्परा पर आधारित सामाजिक रुढ़ियां, अनुपयोगी होती भूमि, वर्षा का अभाव एवं प्राकृतिक प्रकोप है वहीं शहरों ने अपनी चकाचौंध सुविधाओं, युवाओं के सपने, रोजगार के अवसर, आर्थिक विषमता, निश्चित और अनवरत अवसरों में आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार पुरुष और महिलाओं के एक बड़े समूह ने गांव से शहर की ओर पलायन किया है। वर्ष 2001 से 2011 की शहरी जनसंख्या में 5.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

शिक्षा और साक्षरता का अभाव

शिक्षा और साक्षरता का अभाव पाया जाना ग्रामीण जीवन



का एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है। गांवों में न तो अच्छे स्कूल ही होते हैं और न ही वहां पर ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिल पाते हैं। इस कारण हर ग्रामीण माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए शहरी वातावरण की ओर पलायन करते हैं हालांकि सरकारी एवं निजी तौर पर आज ग्रामीण शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब रोजगार प्राप्ति एवं उच्च स्तरीय शिक्षा की बात आती है तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे शहरी बच्चों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। ग्रामीण बच्चे अपने माता-पिता के साथ गांव में रहने के कारण परम्परागत कार्यों में उनका हाथ बंटाने में लग जाते हैं जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ नहीं हो पाते हैं। इस कारण माता-पिता उन्हें शहर में ही दाखिला दिला कर शिक्षा देना चाहते हैं और फिर छात्र शहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर शहर में ही रहने के लिए प्रयास करता है जो पलायन का एक प्रमुख कारण है।

रोजगार और मौलिक सुविधाओं का अभाव

गांवों में कृषि भूमि का लगातार कम होते जाना, जनसंख्या बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों-नगरों की तरफ जाना पड़ रहा है। गांवों में मौलिक आवश्यकताओं की कमी भी पलायन का एक बड़ा कारण है। गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास, सड़क, परिवहन जैसी अनेक सुविधाएं शहरों की तुलना में बेहद कम हैं। इन बुनियादी कमियों के साथ-साथ गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर भी बहुत लोग शहरों का रुख कर लेते हैं।

गांवों से पलायन रोकने के प्रमुख सुझाव

समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना

ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सामाजिक समानता एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना अति आवश्यक है। इसलिए सभी विकास योजनाओं के उपेक्षित वर्गों को विशेष रियायत दी जाए। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्वयंसहायता समूहों के जरिए विभिन्न व्यवसाय चलाने, स्वरोजगार प्रशिक्षण, सामूहिक परिवार लाभ योजना (वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना) जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनसे लाभ उठाकर गरीब तथा उपेक्षित वर्गों के लोग अपना तथा अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं।

मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिसमें परिवहन सुविधा, सड़क, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएं,

विद्युत आपूर्ति, पेयजल सुविधा, रोजगार तथा उचित न्याय व्यवस्था आदि शामिल हैं। गांवों की दशा सुधारने के लिए 1 अप्रैल, 2010 में लागू हुए शिक्षा का अधिकार कानून से इस समस्या के समाधान की आशा की जा सकती है। इस कानून से गांवों के स्कूलों की स्थिति, अध्यापकों की उपस्थिति और बच्चों के दाखिले में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से इस कानून को लागू करके गांवों में शिक्षा का प्रकाश फैलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं असमानता, शोषण, भ्रष्टाचार तथा भेदभाव में कमी होगी जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवन बेहतर बनेगा। इस अभियान के तहत तीन लाख से अधिक नए स्कूल खोले गए जिसमें आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं।

भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन की स्थापना

लोक कल्याण एवं ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा योजना तो लागू की जाती है लेकिन ये योजनाएं भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा हथिया ली जाती हैं जिससे उसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। ग्रामीण पंचायती राज क्षेत्र में इन योजनाओं की निगरानी के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत कृषि के स्थान पर पूंजी आधारित व अधिक आय प्रदान करने वाली खेती को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे किसानों के साथ-साथ सीमांत किसानों और मजदूरों को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सिंचाई सुविधा, जल प्रबंध इत्यादि के माध्यम से कृषि भूमि क्षेत्र का विस्तार किया जाए जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी साथ ही आय में भी वृद्धि होगी और किसानों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान जागृत होगा जिससे ग्रामीण पलायन रुकेगा।

मजदूरों तथा अन्य बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण की सुविधा हेतु वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण की सुविधा तथा प्रशिक्षण केन्द्र गांवों में खोले जाएं। रोजगार के वैकल्पिक साधन तथा बुनाई, हथकरघा, कुटीर उद्योग, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की जाए। स्वयंसहायता समूह, सामूहिक रोजगार प्रशिक्षण, मजदूरों को शीघ्र मजदूरी तथा उनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुसंगठित एवं पारदर्शी बनाया जाए जिससे लोगों को उचित दामों से खाद्य सुरक्षा व अनाज उपलब्ध हो सके और ग्रामीण पलायन रोका जा सके।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल : sunilkr.thakur1997@gmail.com

बुन्देलखण्ड के गांवों में रोजगार संकट से

बढ़ता पलायन

सुन्दर सिंह राणा

बुन्देलखण्ड में ग्रामीणों का पलायन सबसे भयावह परिदृश्य प्रस्तुत करने वाला है। बुन्देलखण्ड में पलायन के परिदृश्य को समझने की दृष्टि से महोबा जनपद को लिया गया। जहां देश में ग्रामीणों के पलायन की दर सर्वाधिक दर्ज हुई। ग्रामीणों का यह पलायन न विस्थापन की श्रेणी में आता है और न आवागमन की श्रेणी में आता है क्योंकि इस जनपद के गांव के गांव अपने जीवन को बचाने के लिए और एक अदद जीविका कमाने के लिए अपने गांव और प्रदेश से सुदूर क्षेत्रों में आए दिन पलायन करते रहते हैं।

मनुष्य उन्नत जीवन की आशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता रहा है। इस तरह जनसंख्या के प्रवास का इतिहास अत्यन्त प्राचीन एवं विश्वव्यापी रहा है। यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है कि ईसा से बहुत पहले आर्य मध्य एशिया से आकर भारत में बसे। मध्यकाल में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया को प्रवासित हुए। स्पेनी एवं पुर्तगाली दक्षिणी अमेरिका में बसे। यहूदी एवं अरबी लोग उत्तरी अफ्रीका एवं अरब से यूरोप में जा बसे। इस तरह विभिन्न देशों का इतिहास प्रवास की घटनाओं से भरा पड़ा है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि लम्बे समय अथवा रूप से जाने को ही प्रवर्जन (देशान्तरण) कहा जाता है।

जन्म, मृत्यु एवं प्रवर्जन किसी देश की जनसंख्या को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अतः इन तीनों कारकों का अध्ययन करना आवश्यक समझा जाता है। प्रावैगिक जनांकिकी का अध्ययन तब तक अधूरा समझा जाता है जब तक कि पलायन का अध्ययन न किया जाए। किसी समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि तीनों तरीकों से सम्भव हो सकती है। उस समुदाय में जन्म लेने वालों की संख्या बढ़े, उस समुदाय में मरने वालों की संख्या घटे अथवा उस समुदाय में बाहर से व्यक्ति आए। इसी तरह समुदाय की जनसंख्या में कमी भी तीन तरह से सम्भव है— उस समुदाय में मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो, जन्म लेने वालों की संख्या में कमी आए अथवा उस समुदाय से कुछ लोग बाहर चले जाएं। इस



तरह प्रवास अथवा प्रवर्जन किसी समुदाय की जनसंख्या के वितरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। किसी समाज में बाहर से व्यक्तियों का आगमन अथवा उस समुदाय से बर्हिगमन को ही संक्षेप में प्रवर्जन या देशान्तरण अथवा पलायन कहा जाता है।

पलायन एक महत्वपूर्ण जनांकिकीय घटना है जो जनसंख्या के आकार, वितरण तथा संरचना को शीघ्र प्रभावित करती है। प्रजननशीलता तथा मृत्यु जनसंख्या को बहुत ही धीमी गति से प्रभावित करते हैं। जबकि प्रवास एक अचानक घटना है जिसमें किसी



प्रकार की निश्चितता नहीं होती है तथा इसका मापन और अनुमान लगाना सम्भव नहीं होता है। यदि व्यक्तियों के एक बड़े समूह का एक साथ स्थानान्तरण हो जाए तो इससे देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में खलबली मच जाती है। यह सभ्यता, संस्कृति, आचार, विचार तथा जनसंख्या की संरचना आदि में परिवर्तन ला देती है। पलायन का आर्थिक उतार-चढ़ावों, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं, भौतिक पर्यावरण की प्रकृति, समूह के सामाजिक संगठन, भौगोलिक, राजनैतिक तथा जनसंख्या संबंधी कारकों से घनिष्ठतम सम्बंध होता है। यही कारण है कि पलायन जनांकिकीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है।

समाज वैज्ञानिक बर्फले का विचार है कि अनिश्चित तथा बहुत ही अल्पकाल में भीषण परिवर्तन कर देने की क्षमता के परिणामस्वरूप ही प्रवास का जनांकिकी के लिए विशिष्ट स्थान है। स्पष्ट है कि जनसंख्या में परिवर्तन के तीन मौलिक कारक हैं—प्रजननशीलता एवं मृत्युक्रम में परिवर्तन तथा पलायन। जनांकिकी में प्रजननशीलता तथा मृत्युक्रम का अध्ययन एवं विश्लेषण करना तो सहज है, परन्तु प्रवर्जन का नहीं। इसका कारण यह है कि प्रजननशीलता तथा मृत्युक्रम के आंकड़ें तो व्यवस्थित ढंग से पंजीकृत किए जा सकते हैं, परन्तु प्रवर्जन संबंधी सभी सूचनाओं का पंजीकरण नहीं हो पाता है। प्रवर्जन से संबंधित उन्हीं सूचनाओं का रिकार्ड रखा जाता है जो एक देश से दूसरे देश के लिए अथवा स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होता है। व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक स्थान परिवर्तन को पंजीकृत करना सम्भव नहीं हो पाता है।

गांव से ग्रामीणों का जीविका और मजदूरी के लिए पलायन करना कोई नई बात नहीं है। यह सिलसिला सभ्यता के प्रारम्भिक दौर से चलता रहा है, और यह दुनिया के तमाम हिस्सों में दिखाई देता है। लेकिन भारत के सन्दर्भ में जब हम यह सब देखते हैं

तो ग्रामीणों का यह आवागमन हमें कहीं विस्थापन लगता है और कहीं पलायन, और कहीं-कहीं सामान्य आवागमन लगता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पलायन की मौजूदा गति जारी रही तो अगले 25-30 वर्षों में शहर और गांव की आबादी बराबर हो सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए यह स्थिति हानिकारक और भयावह है। यूं तो पूरी दुनिया में शहरीकरण के विस्तार की प्रवृत्ति को देखते हुए गांव से शहर की ओर पलायन को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं किंतु इसकी रफ्तार को कम करना शहरों और गांव दोनों की भलाई के लिए आवश्यक है। भारत गांवों का देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण अंचलों और देश का विकास खेत-खलिहानों से होकर गुजरता है।

इस अध्ययन को देश के अति पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड पर केन्द्रित किया गया और पाया कि बुन्देलखण्ड में ग्रामीणों का पलायन सबसे भयावह परिदृश्य प्रस्तुत करने वाला है। बुन्देलखण्ड में पलायन के परिदृश्य को समझने की दृष्टि से महोबा जनपद को लिया गया जहां देश में ग्रामीणों के पलायन की दर सर्वाधिक दर्ज हुई। ग्रामीणों का यह पलायन न विस्थापन की श्रेणी में आता है और न आवागमन की श्रेणी में आता है क्योंकि इस जनपद के गांव के गांव अपने जीवन को बचाने के लिए और एक अदद जीविका कमाने के लिए अपने गांव और प्रदेश से सुदृढ़ क्षेत्रों में आए दिन पलायन करते रहते हैं।

देश के इस भूखण्ड में ग्रामीणों को पलायन के लिए मजबूर करने वाली स्थितियां और वजह बहुत गम्भीर हैं और व्यापक भी हैं। उनका स्वरूप बहुत-सी भिन्नताएं लिए हुए है। यहां से कोई साधारण या सामान्य पलायन नहीं हो रहा है। बल्कि यहां एक समय विशेष में तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं। हजारों और लाखों की संख्या में ग्रामीण घर-बार छोड़कर कमाने, पेट पालने और अपने आश्रितों के भरण-पोषण के लिए बाहर निकल लेते हैं। बुन्देलखण्ड में यह पलायन बहुत से आयाम लिए है, जो गहन जांच-पड़ताल की मांग करते हैं। बुन्देलखण्ड में पलायन की समस्या को गहराई से समझने की आवश्यकता है। भारत की जनगणना 2001 में देश के मानचित्र पर महोबा एक ऐसा जनपद बनकर उभरा जहां की जनसंख्या सबसे कम पायी गई और ग्राफ निरन्तर नीचे की तरफ जाता दिख रहा है। प्रथमदृष्ट्या इसके मूल में बड़ा कारण बुन्देलखण्ड के इस जनपद से बड़ी संख्या में ग्रामीणों का पलायन करना ही है। जनपद महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक हीमपुर पिरथ्या के ग्रामीणों से लम्बी



चर्चाओं के आधार पर कुछ तथ्य निकाले हैं। करीब एक सैकड़ ग्रामीणों से कई चरणों में बातचीत की गई। इस गांव के लोग नोएडा, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, मुम्बई तथा कुछ देश के अन्य हिस्सों में भट्टों पर काम करने जाते हैं। ग्रामीणों का यह पलायन आम है उनकी कई पीढ़ियां इसी तरह जीवन बसर करती आ रही हैं।

आजादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों से ग्रामीणों का इस तरह पलायन करना चिंता का विषय है। 21वीं सदी और नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भूमण्डलीकरण के दौर में बुन्देलखण्ड में जीविका का संकट और उसके परिणामस्वरूप उच्च स्तर पर ग्रामीणों का पलायन हमारे विकास मॉडल पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, साथ ही हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था और छदम अर्थव्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करता है।

बुन्देलखण्ड के गांवों से यह पलायन इतिहास के उस सामान्य क्रम को उलटने-पलटाने वाला दिखाई दे रहा है, जिसमें ये भूखण्ड कभी गौरवशाली और वैभव वाला रहा है। महोबा को 'वीरों की भूमि' कहा जाता है और ऐतिहासिक विरासत के तौर पर मजबूत अर्थव्यवस्था वाला हिस्सा रहा है। लेकिन यह सब इतिहास की बातें लगती हैं। आज जो वर्तमान दिखाई दे रहा है उसी से भविष्य भी बनेगा-बिगड़ेगा। बुन्देलखण्ड का समृद्ध इतिहास भले ही कितना गौरवशाली रहा हो बुन्देली समाज कितना गौरवमयी रहा हो, प्राकृतिक संसाधनों की कितनी भी प्रचुरता प्रकृति ने इस धरती को दी हो किन्तु आज इसका वर्तमान इतना अंधकारमय दिखता है जहां विकास का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। मेहनत-मजदूरी के लिए यहां की एक के बाद एक पीढ़ी पलायन करती है। अपने लिए और अपनों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में दिन-रात खटती हैं। पलायन बुन्देलखण्ड के इन बाशिन्दों की नियति बन चुका है।

बुन्देलखण्ड में ग्रामीणों के पलायन पर केन्द्रित इस अध्ययन में गहन तरीकों से वैज्ञानिक विधियों-प्रविधियों का प्रयोग करते हुए पलायन के कारणों की तह में जाने का प्रयास किया गया। क्योंकि बुन्देलखण्ड से ग्रामीणों का पलायन कोई सामान्य घटना नहीं है, यह आधुनिक सभ्यता पर गम्भीर चुनौती है। सूखा, भय, भूख, गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, अन्धविश्वास इस भूक्षेत्र को निरंतर अन्धकार की खाई में धकेलते नजर आ रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन पलायन के बदलते परिदृश्य को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समग्रता के साथ समझने का प्रयास है। पलायन के विभिन्न आयामों, उन परिस्थितियों और कारणों को गहराई से चिन्हित करना है, साथ ही पलायन के प्रभाव और परिणामों के परिणामस्वरूप देश का यह हिस्सा किन सामाजिक-सांस्कृतिक

समस्याओं का शिकार हो रहा है और किस तरह की आर्थिक-राजनीतिक गतिविधियों को आयोजित कर रहा है। ग्रामीणों के पलायन के कारणों को जानने की दृष्टि से पलायन के समाजशास्त्र को जानने की दिशा में इन बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि पलायन करने वाले ग्रामीणों की पृष्ठभूमि क्या है? बुन्देलखण्ड में ग्रामीणों के पलायन करने के मुख्य कारण/कारक कौन से हैं? ग्रामीणों के जीवन पर पलायन के प्रभाव एवं परिणाम किस रूप में सामने आए हैं?

बुन्देलखण्ड में ग्रामीणों के पलायन के उभरते परिदृश्य को समझने के लिए तथ्यों/सूचनाओं को जुटाने की कोशिश की गई है। सर्वप्रथम उन ग्रामों को चिन्हित किया गया जहां पलायन अधिक है। पलायन करने वाले ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश की गई। ये पलायन करने वाले ग्रामीण कौन हैं? किस आयु समूह के लोग ज्यादा पलायन कर रहे हैं? किस जाति/उपजाति के लोग अधिक पलायन कर रहे हैं? गांव में यह किस मौसम में कम/ज्यादा होता है? पलायन करने वाले किस सामाजिक/राजनीतिक हैसियत के लोग हैं? ग्रामीणों का यह पलायन वैयक्तिक स्तर पर अधिक दिखता है या पारिवारिक और सामूहिक स्तर पर ज्यादा है? पलायन करने वालों की आर्थिक स्थिति कैसी है? पलायन के समाजशास्त्र को सही ढंग से और सही अर्थों में जानने-समझने के लिए पहली शर्त यही है कि जो पलायन कर रहे हैं यह पलायन उन ग्रामीणों के लिए कितना जरूरी है? और कितनी उनकी मजबूरी है? यह सब जानने की दिशा में उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी अहम होगी।

दूसरे, ग्रामीणों के पलायन के कारणों को जानने की कोशिश की गई है। आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके चलते ग्रामीण बड़े स्तर पर बुन्देलखण्ड से पलायन कर रहे हैं। चूंकि महोबा जनपद में देश के अन्य इलाकों से ग्रामीणों के पलायन की दर सर्वाधिक है। इस उच्च दर के पीछे कौन से कारक काम कर रहे हैं। पलायन की यह ऊंची दर इन ग्रामीणों में किन वजहों से है? पलायन के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने वाले कारक कहां हैं? कौन से हैं? बुन्देलखण्ड में ग्रामीणों के पलायन के प्रेरक स्रोत उनके अस्तित्व के लिए संघर्ष से पनपते हैं या उनके व्यक्तित्व विकास की शिथिलता के धरातल का विस्तार करते हैं, इन कारकों की प्रकृति क्या है? बुन्देलखण्ड में पलायन के कारणों को जानने-समझने की दिशा में उन शक्तियों को पहचानने की कोशिश की गई है जो बुन्देलखण्ड में पलायन को राह देती हैं। इसी उद्देश्य के साथ अध्ययन में उन वजहों को गहराई से खोजने की कोशिश की गई है, जो इस क्षेत्र में पलायन का कारण बन रही हैं। पलायन के समाजशास्त्र को समझकर उसकी सही



समीक्षा कर सकेंगे और बुन्देली समाज में हो रहे परिवर्तनों की दशा, दिशा और गति को समझने में सफल हो सकेंगे।

तीसरे, पलायन करने वाले ग्रामीणों की पृष्ठभूमि को जानने के साथ पलायन के कारणों की समझ विकसित करते हुए अन्ततः यह जानने की कोशिश की गई है कि बुन्देलखण्ड में ग्रामीणों के जीवन पर पलायन के प्रभाव किस रूप में सामने आ रहे हैं? ग्रामीणों पर पलायन का प्रभाव किस दिशा में और कैसा है? पलायन के परिणाम ग्रामीणों के जीवन को किस दिशा में परिवर्तित कर रहे हैं। आखिर यह पलायन सकारात्मक ढंग से उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। यदि पलायन के परिणाम मिले—जुले दिखाई दे रहे हैं तो इनमें ग्रामीणों के जीवन और विकास के लिए क्या अहम है। ये प्रभाव उनके लिए अच्छे या बुरे हैं, इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर बुन्देलखण्ड के महोबा जनपद के ग्रामीणों में पलायन के प्रभाव व परिणाम को गहराई से समझने का प्रयास किया गया ताकि उच्च स्तर पर हो रहे ग्रामीणों के पलायन की समस्या को समझा जा सके। उसके समाधान की दिशा में बढ़ा जा सके और पलायन के मूल में क्या है? इस समस्या का समाधान कैसे हो?

अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी ये तीन प्रमुख कारण हैं जो ग्रामीणों के पलायन का कारण बनते हैं। बुन्देलखण्ड में परम्परागत जाति व्यवस्था का शिकंजा इतना मजबूत है कि शासन और प्रशासन भी सामूहिक अन्याय का मुकाबला करने वालों के प्रति उदासीन बना रहता है जिसमें सड़ते और दबते रहने की बजाय लोग गांव से पलायन करना पसंद करते हैं। बुन्देलखण्ड में ग्रामीणों का रोजी-रोटी की तलाश में शहरों, कस्बों में जाना आवश्यक हो गया। इस प्रकार गांवों में रोजगार की अपर्याप्तता शहरों की ओर पलायन के प्रमुख कारणों में से एक है। आजादी के बाद भारत में देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के इरादे से छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना का अभियान चलाया गया। ये सभी उद्योग शहरों में लगाए गए जिसके कारण ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश एवं आजीविका के लिए शहरों में पलायन करना आवश्यक हो गया। निरंतर कृषि योग्य भूमि का घटता जाना और कृषि की उपेक्षा तथा उस पर आधारित उद्योगों का विलोपन भी बुन्देलखण्ड के गांवों से ग्रामीणों के पलायन का अहम् कारण है।

बुन्देलखण्ड में ग्रामीणों के गांवों से पलायन कर जाने के परिणाम भयावह रूप में सामने आ रहे हैं। जहां गांवों में सन्नाटा पसरा है। वहीं ग्रामीण सामाजिक संरचना छिन्न-भिन्न नजर आती है। गांवों में सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे दिखाई देते हैं। पलायन करने वाले परिवारों के सामाजिक संबंध भी प्रभावित होते हैं जो अपने रिश्ते-नातेदारों से लम्बे समय तक नहीं मिल पाते हैं। वहीं बहुत सारे तीज-त्यौहार, प्रथाओं व परम्पराओं का निर्वाह नियमित

और नियमबद्ध ढंग से नहीं कर पाते हैं। बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। इन गांवों में ड्राप-आउट दर उच्च है। महिलाओं की स्थिति दयनीय है। पलायन के परिणामस्वरूप ये ग्रामीण महिलाएं दोहरे शोषण का शिकार होती हैं। परिवार में दोहरे कामों का बोझ, परिजनों की हिंसा का शिकार वही बाहरी लोगों द्वारा कार्यस्थलों पर तरह-तरह के शोषण को झेलती हैं। वही पलायन करने वाले सभी लोगों को कार्यस्थलों पर विषम परिस्थितियों में कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है। निष्कर्षतः पलायन के परिणाम नकारात्मक ढंग से ग्रामीणों को प्रभावित करने वाले हैं और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन को तबाह करने वाले सिद्ध हो रहे हैं।

ग्रामीण पलायन रोकने के लिए समानता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था कायम करना भी उतना ही आवश्यक है जितना गांवों की स्थिति में सुधार लाना। इसलिए सभी विकास योजनाओं में उपेक्षित वर्गों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों को विशेष रियायतें दी गईं। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्वयंसहायता समूहों के जरिए विभिन्न व्यवसाय चलाने, स्वरोजगार प्रशिक्षण, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनसे लाभ उठाकर गरीब तथा उपेक्षित वर्गों के लोग अपना तथा अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं। इससे आर्थिक व सामाजिक असमानता कम होगी और ग्रामीण जीवन अधिक खुशहाल बन सकेगा।

बुन्देलखण्ड के गांवों से ग्रामीणों के पलायन के समाधान की दिशा में स्वयंसहायता समूह एक प्रभावी पहल हो सकते हैं। ये समरूप ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित समूह होते हैं जिसमें समूह के सदस्य आपसी राय से जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हैं उसका अंशदान एक सम्मिलित निधि में करते हैं तथा समूह के सदस्यों की उस धनराशि को उत्पादकता अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहमति होती है। इन स्वयंसहायता समूहों का उद्देश्य गरीबों की पहुंच ऋण तक सुनिश्चित करने के लिए कारगर व अल्पव्ययी साधन उपलब्ध कराना और साथ ही बचत व बैंकिंग की आदत डालना है। साथ ही निर्धनों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उन्हें सामर्थ्यवान बनाना है। स्वयंसहायता समूहों की भूमिका आय संवर्धन में अति आवश्यक है। रोज की मजदूरी/आय से जमा की गई सामूहिक बचत से एक बड़ी धनराशि तैयार हो सकती है जिसके द्वारा छोटा-मोटा रोजगार/उपक्रम खड़ा किया जा सकता है जो रोजगार का साधन बन सकता है और पलायन के परिदृश्य को सकारात्मक रूप दिया जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल: ranasundarsingh.@gmail.com

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति समय की मांग

जसविंदर कौर एवं डॉ. संदीप सिंह

वर्तमान समय में ऐसी सिंचाई पद्धतियां जो पानी की बचत में कारगर नहीं हैं धीरे-धीरे नकारा हो जाएंगी। एक कामयाब या सफल सिंचाई पद्धति के लिए यह आवश्यक है कि उसका उचित डिजाइन, सही स्थापना, सही घटक चयन, उचित प्रारूप तथा उचित रखरखाव हो। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति अन्य परम्परागत सिंचाई पद्धतियों से उत्तम इस कारण भी है कि इस पद्धति के इस्तेमाल में किसी भी स्थान पर, ग्रेड से ऊपर या नीचे, किसी भी प्रारूप के लिए अनुकूल होने का लचीलापन है। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का यह लचीलापन वर्तमान सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति में काफी हद तक उपयोगकर्ताओं और उसके स्थापनाकर्ता की जरूरत पूरी करता है।

भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और इसकी दो-तिहाई जनसंख्या की समृद्धि एवं खुशहाली प्रत्यक्ष रूप से कृषि के विकास एवं विस्तार से जुड़ी हुई है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि बहुत कुछ कृषि कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली परतों जैसे—सिंचाई, उर्वरक, पौध संरक्षण

व कीटनाशक दवाईयां, कृषि में यंत्रीकरण, कृषि वित्त व्यवस्था इत्यादि तकनीकों पर निर्भर करती है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता, मानसूनी जलवायु तथा विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए सिंचाई की जरूरतों के कारण सिंचाई का विशेष महत्व है। भारत में केवल 45.3 प्रतिशत कृषि क्षेत्र पर ही सिंचाई

की सुविधाएं उपलब्ध हैं अर्थात् लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र अभी भी वर्षा पर निर्भर है। देश में वर्षा प्रायः जून से सितम्बर के बीच में ही मानसून द्वारा होती है। शेष महीने सूखे रहते हैं। उत्तरी भारत में दिसम्बर तथा जनवरी में चक्रवाती हवाओं से थोड़ी-सी वर्षा होती है। जिन भागों में काफी वर्षा होती है वहां भी शीत ऋतु तथा ग्रीष्म में इतनी नमी नहीं होती कि बिना सिंचाई की व्यवस्था के एक से अधिक फसलें तैयार की जा सकें। देश के विस्तृत भागों में तो वर्षा इतनी कम है कि गहन खेती की सम्भावनाएं नहीं हैं। अतः भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारम्भ से ही सिंचाई की व्यवस्था को कृषि विकास के लिए अनिवार्य माना गया है।

21वीं सदी में प्रवेश के साथ भारत को एक बड़े जल संकट का





सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था के तीव्र औद्योगीकरण की मांग और समाज में शहरीकरण की प्रवृत्ति ऐसे समय उत्पन्न हुई है, जब जलापूर्ति बढ़ाने की क्षमता सीमित है, जलस्तर गिर रहा है और जल की गुणवत्ता के मुद्दे तेजी से उभर रहे हैं। भारत में कितने ही इलाके हैं, जहां बारिश में बाढ़ आती है और बारिश गुजर जाने के मात्र तीन महीने बाद ही नदियां सूख जाती हैं और भूजल खुद में एक सवाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। न्यूनतम 100 मिलीमीटर बारिश वाला जैसलमेर भी आज जल की कमी वाले इलाके में शुमार है और अधिकतम 11400 मिलीमीटर बारिश वाला चेरापूंजी तथा नदियों के शानदार संजाल वाला उत्तराखण्ड भी जल की कमी वाले इलाकों में शुमार है। कहीं कृषि में सिंचाई के लिए पानी की कमी है तो कहीं पानी बहुतायत में नजरअंदाज किया जा रहा है। यह विरोधाभासी परिदृश्य स्वयंमेव प्रमाण है कि भारत में पानी की कमी नहीं है, पानी के प्रबंधन में कमी है। अतः भूजल प्रबंधन ही पानी प्रबंधन की सबसे पहली और जरूरी बुनियाद है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी उपलब्ध जल के किफायती इस्तेमाल में सुधार के स्थिर प्रयासों की आवश्यकता उजागर की गई है। इस तथ्य को देखते हुए कि हमारे जल संसाधनों का करीब 80 प्रतिशत सिंचाई के काम आता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई परियोजनाओं की जल उपयोग सक्षमता में 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल कृषि के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए भी पानी की समग्र उपलब्धता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

सिंचाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चार्ल्स ट्रेविलियन ने कहा “भारत में सिंचाई ही सब कुछ है, पानी सोने से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जब भूमि पर पानी पड़ता है तो उसकी उर्वरकता 6 से 8 गुना बढ़ जाती है, बंजर भूमि भी कृषि के काम आने लगती है जबकि पानी के अभाव में भूमि कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती है।” अतः उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि भारत में कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई से तात्पर्य कृषि उत्पादन के लिए भूमि को अप्राकृतिक तरीके से पानी देना है। सिंचाई के लिए पानी कुएं, तालाब, झील, नदी तथा ट्यूबवेल आदि से प्राप्त होता है। भारत में

सिंचाई के लिए मुख्यतः परम्परागत पद्धति अपनाई जाती रही है जिसमें सिंचाई, नहरों, खालों, क्यारियों, पुली, रहट व डेकली द्वारा की जाती है। सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से धीरे-धीरे पानी की कमी होने लगी। सिंचाई के लिए कच्चे खालों व नहरों का प्रयोग किए जाने से पानी का काफी हिस्सा ज़मीन सोख लेती है। कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है तथा काफी पानी कटाव व रिसाव से बिखर जाता है। अतः सिंचाई के लिए परम्परागत तरीके सस्ते तो पड़ते हैं परन्तु इनमें पानी की बर्बादी अधिक होती है। लेकिन सिंचाई के लिए पानी के किफायती इस्तेमाल द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। वर्तमान समय में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत फव्वारा पद्धति व बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति सिंचाई के लिए पानी के किफायती इस्तेमाल की उत्कृष्टतम आधुनिक पद्धतियां हैं।

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का संक्षिप्त इतिहास

संसार के बहुत से भागों में जहां सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम है वहां बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति एक अच्छा विकल्प है। संसार के कई भागों में 1960 के दशक में कृषकों ने यह पाया कि बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से पानी की खपत को कम करके कृषि पैदावार में बढ़ोतरी की जा सकती है। 1980 के दशक में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग व्यापारिक रूप से होने लगा। वर्तमान में संसार के विकसित या कृषि प्रधान देशों में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति विस्तृत रूप से व विश्वसनीयता से इस्तेमाल की जा रही है। भारत के कई भागों में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के

प्रयोग का वर्णन प्राचीन रीतियों में मिलता है। प्राचीनकाल में ग्रीष्मकाल में घरों में लगाए तुलसी के पौधों को पानी देने के लिए एक मटके में बारीक सुराख कर तुलसी के पौधे पर लटका दिया जाता था जिससे पौधे को बूंद-बूंद पानी मिलता रहता था। अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय कृषक सिंचाई के लिए कोमल बांस का प्रयोग करते थे जिससे पानी का प्रवाह निरन्तर बना रहता था। भारत में पिछले 15 वर्षों में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के अर्न्तगत कृषि क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है।

सरकार के प्रयासों से वर्तमान में लगभग 3.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के अर्न्तगत है जबकि वर्ष 1960 में यह केवल 40 हेक्टेयर था। महाराष्ट्र (94000 हेक्टेयर), कर्नाटक (66000 हेक्टेयर) तथा तमिलनाडु (55000 हेक्टेयर) राज्य बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से लाभान्वित होने वाले अग्रणी राज्य हैं। भारत में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति द्वारा कई प्रकार की फसलें सिंचित की जाती हैं परन्तु इस पद्धति द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में पेड़ों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है तत्पश्चात अंगूर की खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती आदि का क्षेत्रफल है। बागवानी में प्लास्टिक उद्योग अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय समिति राष्ट्रीय उद्यानिकी समिति, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमान है कि भारत में 27 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के अर्न्तगत आ सकता है।

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का अर्थ

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पौधे की जड़ों को सीधे पानी और पोषक तत्व पहुंचाने की एक पूर्व निर्धारित धीमी और सटीक पद्धति है। यह पद्धति पौधे की आवश्यकतानुसार जड़ों में उपयुक्त नमी रखते हुए, पानी बचाने का कारगर तरीका है। यह पद्धति पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यकतानुसार पानी और हवा का सन्तुलन बनाती है। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति की विशेषताओं के कारण यह पद्धति आवासीय, व्यापारिक या कृषि कार्यों में उपयोगी तथा उन शहरों व कस्बों के लिए जो हरियाली बढ़ाना चाहते हैं व जहां पानी उपलब्धता की समस्या है एक उपयोगी पद्धति है।

वर्तमान समय में ऐसी सिंचाई पद्धतियां जो पानी की बचत में कारगर नहीं हैं, धीरे-धीरे नकारा हो जाएंगी। एक कामयाब या सफल सिंचाई पद्धति के लिए यह आवश्यक है कि उसका उचित डिजाइन, सही स्थापना, सही घटक चयन, उचित प्रारूप तथा उचित रखरखाव हो। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति अन्य परम्परागत सिंचाई पद्धतियों से उत्तम इस कारण भी है कि इस पद्धति के इस्तेमाल में किसी भी स्थान पर, ग्रेड से ऊपर या नीचे, किसी भी प्रारूप के लिए अनुकूल होने का लचीलापन है। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का

यह लचीलापन वर्तमान सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति में काफी हद तक उपयोगकर्ताओं और उसके स्थापनाकर्ता की जरूरत पूरी करता है।

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का विकास

देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। परन्तु देश के कुल जल संसाधन का मात्र एक प्रतिशत ही राज्य में उपलब्ध है। उपलब्ध जल का 80 प्रतिशत से अधिक का उपभोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि सिंचाई हेतु प्रयुक्त जल का समुचित उपयोग किया जा सके। उल्लेखनीय है कि परम्परागत सिंचाई पद्धति से 25 से 30 प्रतिशत तक की कार्यकुशलता की बजाए आधुनिक सिंचाई पद्धति से 50 से 95 प्रतिशत तक की कार्य कुशलता सम्भव है। राजस्थान में फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम वर्ष 1990-91 से लगातार राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की किसी न किसी योजना के तहत संचालित है। राज्य के कुछ जिलों में तो प्रगतिशील कृषकों द्वारा फव्वारा संयंत्र इससे पूर्व भी स्थापित किए जा चुके थे। वर्ष 2005-06 से राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति स्थापन कार्य वृहद -स्तर पर शुरू किया गया।

ड्रिप तकनीक में ऐसा होता है नालियों का जाल





राजस्थान के 33 जिलों में श्रीगंगानगर एक महत्वपूर्ण सीमांत जिला है। श्रीगंगानगर जिला प्रदेश की विस्तृत मरुभूमि का एक मैदानी भाग है। सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के कार्यालय की स्थापना वर्ष 1990 में हुई इससे पूर्व सीमित उद्यानिकी योजना की क्रियान्वती कृषि विभाग द्वारा ही की जाती थी। उद्यान विभाग की अलग से स्थापना होने के पश्चात इस जिले में उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ा है व उद्यानिकी फसलों की उपज में भी गुणात्मक सुधार हुआ है। पानी की कमी को देखते हुए श्रीगंगानगर जिले में उद्यान विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत बगीचों में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र लगाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है जिससे जिले में कृषकों द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र अपनाए जाने में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई है जो तालिकाओं से स्पष्ट है।


**सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत क्षेत्रफल
(वर्ष 2005-06 से 2012-13)**

जिला श्रीगंगानगर (राज.)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्रम सं.	वर्ष	बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति	मिनी सिप्रकलर	फव्वारा पद्धति	विशेष विवरण
1	2005-06	384.300	0.00	-----	
2	2006-07	698.800	0.00	417.50	
3	2007-08	610.250	0.00	969.00	
4	2008-09	845.770	200.00	832.00	
5	2009-10	767.610	610.00	1550.00	एम आई एस योजना
6	2010-11	1076.894	1004.48	2011.00	
7	2011-12	1691.161	389.82	993.00	
8	2012-13	970.973	446.40	933.753	
	कुल	7045.758	2650.70	7706.253	

स्रोत- उद्यानिकी विभाग, श्रीगंगानगर




**बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के अंतर्गत फल व फसलवार सिंचित क्षेत्रफल
(वर्ष 2005-06 से 2012-13)
जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	कीनू	अनार	आंवला	जोजोबा	खजूर	अमरुद	बेर	सब्जियां/कपास	कुल
2005-06	274.06	20.25	8.6	7.5	0	0	6.35	67.54	384.3
2006-07	645.05	26.4	0	20.45	0	0	0	6.9	698.8
2007-08	544.15	26.95	3	13.25	0	0	0	22.9	610.25
2008-09	654.95	20.12	0	9.5	0	5	0	156.2	845.77
2009-10	390.07	12.5	0	5.5	0	0	0	359.54	767.61
2010-11	542.542	5.51	0	31.052	100	0	0	397.79	1076.894
2011-12	535.153	2.75	0	53.51	6.63	0	0	1093.118	1691.161
2012-13	304.156	2	0	9.73	8.2	5.5	0	641.387	970.973
कुल	3890.131	116.48	11.6	150.492	114.83	10.5	6.35	2745.375	7045.758

स्रोत-उद्यानिकी विभाग, श्रीगंगानगर।

तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2005-06 से सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के अंतर्गत संयंत्र स्थापन्न कार्य वृहद स्तर पर शुरू किया गया। वर्ष 2005-06 में 384.3 हेक्टेयर क्षेत्र पर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के अंतर्गत संयंत्र स्थापित किए गए थे। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2012-13 तक लगातार फव्वारा पद्धति व बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के अंतर्गत संयंत्र लगाने का क्षेत्रफल बढ़ा है। वर्ष 2010-11 में सर्वाधिक 2011.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फव्वारा संयंत्र स्थापित किए गए जबकि वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक 1691.161 हेक्टेयर क्षेत्र पर बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र स्थापित किए गए। वर्ष 2012-13 तक उद्यान विभाग के प्रयासों से श्रीगंगानगर जिले में 7045.758 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र एवं 2650.70 हेक्टेयर में छोटे फव्वारा संयंत्र तथा 7706.253 हेक्टेयर में फव्वारा संयंत्र स्थापित करवाए गए हैं।



तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2012-13 तक बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल 3890.131 हेक्टेयर कीनू बागवानी का था, तत्पश्चात 2745.375 हेक्टेयर क्षेत्रफल सब्जियों व कपास का था। वर्ष 2012-13 तक बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 7045.758 हेक्टेयर था जिसमें से 55.21 प्रतिशत कीनू, 1.65 प्रतिशत अनार, 0.16 प्रतिशत आंवला, 2.14 प्रतिशत जोजोबा, 1.63 प्रतिशत खजूर, 0.09 प्रतिशत बेर, 0.15 प्रतिशत अमरूद व 38.96 प्रतिशत सब्जियां एवं कपास के अंतर्गत था।

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का महत्व

- बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति सिंचाई की एक कार्यकुशल पद्धति है। इस पद्धति द्वारा बिना पानी की बर्बादी के आवश्यकतानुसार सिंचाई की जा सकती है।
- इस सिंचाई पद्धति से एक समान सिंचाई होने के कारण पानी की बहुत बचत की जा सकती है।
- बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी विशेष औजार, गोंद या किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं होती इसे आसानी से लगाया जा सकता है।
- इस सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करने से केवल पौधे की जड़ों को पानी मिलता है जिससे नमी द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां व फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट नहीं पनपते।
- पौधों के बीच खरपतवार नहीं पनपते।
- बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति एक बहुदेशीय पद्धति है जिससे उबड़-खाबड़ व ढालू भूमि एवं आंधी वाले क्षेत्रों में आसानी से सिंचाई की जा सकती है।
- बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के संयंत्र द्वारा पौधों को आवश्यकता अनुसार बिना बर्बादी के उर्वरक, खरपतवारनाशी व कीटनाशक दिए जा सकते हैं।
- इस सिंचाई पद्धति के प्रयोग से फसल पैदावार एवं गुणवत्ता में वृद्धि तथा फसल उत्पादन लागत में कमी होती है।

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति की कमियां

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से होने वाली हानियों को जाने बिना इस पद्धति का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं है।

इस सिंचाई पद्धति की कमियां निम्न हैं:-

- इस संयंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली नरम पाइपों को कीड़े-मकोड़े, कुतरने वाले जीव (जैसे:- चूहा, खरगोश, गिलहरी आदि) तथा पालतू जानवर नुकसान पहुंचाते हैं।

- इस संयंत्र में प्रयुक्त होने वाले ड्रिपस के छिद्रों को मिट्टी से बंद होने से बचाने के लिए फिल्टर की जरूरत होती है।
- बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के ड्रिपर्स द्वारा बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। अतः प्रत्येक पौधे में पानी की आवश्यकता का गहनता से ध्यान रखना पड़ता है।
- बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र पाइपों को एकत्रित करने व बिछाने में अत्याधिक श्रम व समय की आवश्यकता होती है।

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति अपनाने हेतु अनुदान

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति की व्यापक संभावनाएं हैं। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति द्वारा सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। चूंकि यह एक खर्चीली पद्धति है इसलिए सरकार बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को किसान द्वारा अपनाने पर उसके द्वारा वहन किए गए व्यय पर अनुदान देती है, ताकि किसान पर इसका अतिरिक्त भार नहीं पड़े। सूक्ष्म सिंचाई योजना में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र पर पात्र कृषक को बिल या निर्धारित इकाई लागत (जो कम हो) का 90 प्रतिशत तक अनुदान सरकार द्वारा देय है। अनुदान हेतु कृषक पात्रता की शर्तें निम्न हैं-

- कृषक के पास सिंचाई की सुविधा हो।
- कृषक के पास भू-स्वामित्व/भूमि पट्टा हो।
- उद्यान विभाग में पंजीकृत निर्माताओं के बीआईएस मार्क संयंत्र क्रय किए हो।
- गत 10 वर्ष के दौरान 5 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान न लिया हो।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के लाभों की तुलना में इस पद्धति से होने वाली हानियां या कठिनाइयां नगण्य हैं। अतः बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली जोकि जल बचत एवं अधिक उत्पादन प्राप्ति के दृष्टिकोण से सूक्ष्म सिंचाई योजना की अति उपयोगी एवं वैज्ञानिक तकनीक है, की राज्य में विपुल सम्भावनाएं हैं। राज्य के कृषकों के उत्साही रुझान के मद्देनजर इस तकनीक के अपनाए जाने में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई है। जल बचत, फसल उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन एवं उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी तथा पोषक तत्वों के फर्टिगेशन द्वारा दक्ष उपयोग के मद्देनजर बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली समय की आवश्यकता है।

(लेखक क्रमशः टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर में शोध छात्रा एवं गुरु हरगोविन्द साहिब पीजी कालेज में उप प्रधानाचार्य हैं।)

ई-मेल: sandeepmunday@gmail.com

सेहत के लिए लाभकारी है सेम

चंद्रभानु यादव

सेम की फलियों का

सब्जी एवं उसके बीज को दाल के रूप में प्रयोग करके

निरोगी काया का सपना साकार किया जा सकता है। इसमें मौजूद औषधीय गुणों की वजह से ही यह भारत के हर हिस्से में आसानी से उपलब्ध है। इसमें लौह तत्व, कैल्शियम, मैग्नेशियम, फॉस्फोरस के साथ ही विटामिन ए आदि होते हैं। इसके बीज में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रहती है। इसके रस के इस्तेमाल से चेहरे के दाग-धब्बे भी मिटते हैं। इसकी पत्तियां कार्बन-डाई-आक्साइड को हजम करती हैं। वातावरण में मौजूद विषाक्त तत्वों को हजम करके आसपास का वातावरण शुद्ध करती हैं। ऐसे में इसे बिना खाए भी इसका फायदा लिया जा सकता है। यही वजह है कि ग्रामीण भारत में हर छत एवं छप्पर पर सेम की लताएं देखी जा सकती हैं।

प्रकृति ने हमें फलियों एवं सब्जियों के रूप में तमाम उपहार दिए हैं जिनका सेवन करके हम निरोगी काया पा सकते हैं। इसमें से ही एक है सेम। लताओं वाले इस पौधे में लगने वाली फलियां न सिर्फ सेहत को दुरुस्त करती हैं बल्कि शरीर को विभिन्न रोगों से बचाती भी हैं। सेम की फलियों का सब्जियों एवं उसके बीज को दाल के रूप में प्रयोग करके निरोगी काया का सपना साकार किया जा सकता है। इसमें मौजूद औषधीय गुणों

की वजह से ही यह भारत के हर हिस्से में आसानी से उपलब्ध है। इसकी खेती तो होती ही है। यदि आप चाहें तो इसे अपने घर के आसपास आसानी से उगा सकते हैं। घर की छत अथवा छप्पर पर इसकी लताओं को चढ़ाकर अपनी मनपसंद सब्जी को उगाया जा सकता है। सेम की फलियां और बीज ही नहीं इसकी पत्तियां भी कारगर हैं। इसकी पत्तियां वायुशोधन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।



सेम लेगुमिनेसी वंश का पौधा है। इसकी लताओं में फलियां लगती हैं। फलियों की सब्जी बनाई जाती है। यह स्वादिष्ट और पुष्टकर होती है। सुपाच्य होने की वजह से इसे हर इलाके में खाया जाता है। इसकी तासीर मधुर, शीतल, बलकारी, पित्त और कफ का नाश करने वाली कही गई है। इसमें लौह तत्व, कैल्शियम, मैग्नेशियम, फॉस्फोरस के साथ ही विटामिन ए आदि होते हैं। इसके बीज को दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बीज में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रहती है। इसी कारण इसमें पौष्टिकता आ जाती है। इसके रस के इस्तेमाल से चेहरे के दाग-धब्बे भी मिटते हैं। सेम फली में फाइबर प्रचुर है। यह फाइबर कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकने और आहार वसा के उन्मूलन को बढ़ाने



भी होता है। कुछ लंबी होती हैं तो कुछ चिपटी और कुछ टेढ़ी। सेम के फल गुच्छे के रूप में लगते हैं। गुच्छे में लगने वाला फल कुछ समय में पीला पड़कर पक जाता है और फिर इसके बीज को निकाला जाता है। सेम के बीज में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रहती है। इसी कारण इसमें पौष्टिकता आ जाती है। कुछ स्थानों में सेम दाल को दालमोठ के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेम की नमकीन काजू के समान बाजार में काफी महंगी दर पर बिकती है।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, एटा, मथुरा आदि इलाके में सेम की नमकीन तैयार की जाती है। हालांकि यह

के लिए मदद करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेम का पौधा जिस स्थान पर रहता है, उसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहता है। इसकी पत्तियां कार्बन-डाई-आक्साइड को हजम करती हैं। वातावरण में मौजूद विषाक्त तत्वों को हजम करके आसपास का वातावरण शुद्ध करती हैं। ऐसे में इसे बिना खाए भी इसका फायदा लिया जा सकता है। यही वजह है कि ग्रामीण भारत में हर छत एवं छप्पर पर सेम की लताएं देखी जा सकती हैं।

सेम भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ ही पूरे विश्व में उगाई जाती है। इसमें मौजूद औषधीय गुणों को देखते हुए भारत में उत्तर प्रदेश एवं बिहार में सेम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। यहां सेम की सब्जी के अलावा इसका चोखा भी तैयार किया जाता है। इसके अलावा मिक्स वेज व अन्य कई पकवानों में भी सेम का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। सेम की फलियों को सूखाकर इसके बीज निकाले जाते हैं। इस बीज को दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें मौजूद औषधीय गुणों का ही असर है कि अन्य दालों की अपेक्षा सेम दाल दो से तीन गुना अधिक महंगी बिकती है। इसी तरह मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा के अलावा राजस्थान में सेम का चलन है। इन प्रदेशों में हर परिवार सेम को उगाता है और खुद के खानेभर की सेम तैयार कर लेता है। कुछ किसान सेम की औद्योगिक खेती भी करते हैं, जिसकी वजह से शहरी इलाके में रहने वालों को आसानी से सेम उपलब्ध हो जाती है। राजस्थान के करौली, दौसा, अलवर जिलों में सेम की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। यहां सेम की फलियों की दालें तैयार की जाती हैं। सेम की अलग-अलग प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियां सफेद होती हैं तो ज्यादातर हरी। प्रजाति के अनुसार ही उनकी फलियों का आकार

नमकीन महंगी होने की वजह से आम लोगों की पहुंच से दूर है। लेकिन इसका प्रचलन अधिक होने के पीछे मूल कारण उसमें मौजूद औषधीय गुण हैं। सेम की पत्तियां ललौसी नामक त्वचा रोग में काफी कारगर मानी जाती हैं। सेम की पत्ती को संक्रमित स्थान पर रगड़ने मात्र से रोग ठीक हो जाता है। सेम के पौधे लताओं के रूप में होते हैं। भारत के विभिन्न इलाकों में इसे खेतों में बोनो के साथ ही घरों पर आसानी से उगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में सेम को खेत में बोनो का चलन कम है। जिन स्थानों पर छप्पर आदि हैं, उसके किनारे इसे बो देते हैं। फिर इसकी लताओं को रस्सी अथवा किसी डंडी के सहारे छत पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद इसकी लता पूरी छत पर फैल जाती है। फिर इन्हीं लताओं में फूल व फलियां लगती हैं। सेम की खेती करने वाले लोग बारिश के दिनों में झामड़ बनाकर इसकी लताओं को ऊपर चढ़ा देते हैं। ऐसे में बारिश के दिनों में इसकी तला पानी से गलती नहीं है। सेम की खेती मध्यम उपज देने वाली मिट्टी में की जाती है। इसके बीज एक-एक फुट की दूरी पर लगाए जाते हैं। वर्षा के प्रारंभ से बीज बोया जाता है। जाड़े या वसंत में पौधे फल देते हैं। गरमी में पौधे जीवित रहने पर फलियां बहुत कम देते हैं। सेम की प्रमुख प्रजाति के रूप में फ्रांसिसी या किडनी सेम अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह दक्षिणी अमेरिका की देशज प्रजाति है।

सेम रक्तशोधक है। यह फुर्ती लाती है और शरीर मोटा करती है। सेहत के लिए सेम को सबसे कारगर माना गया है। इसमें मौजूद प्रोटीन समय से पहले आनी वाली वृद्धावस्था को रोकता है। मांस व डेयरी उत्पादों में मिलने वाले प्रोटीन की



अपेक्षा सेम में वसा बहुत कम होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट का भी प्रमुख स्रोत है। सेम वातकारक है। इस वजह से इसकी सब्जी बनाते समय अजवायन, हींग, अदरक, मेथी पाउडर और गरम मसाले के साथ बनाया जाना चाहिए। इसे फिल्टर्ड या कच्ची घानी के तेल में बनाया जा सकता है। वात रोग से ग्रसित लोगों को सेम की सब्जी बनाते समय सब्जी में गाजर के कुछ टुकड़े मिला देने चाहिए। इससे वात का असर कम हो जाता है।

जानवरों के लिए भी कारगर

सेम मानव के साथ ही जानवरों के लिए भी कारगर है। यही वजह है कि कुछ इलाके में सेम की पत्तियों को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जानवरों में बांझपन की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में पशु चिकित्सकों का मानना है कि सेम की पत्तियों को हरे चारे के रूप में प्रयोग करने के साथ ही इसकी फलियां जानवरों को खिलाई जाएं तो उन्हें काफी फायदा मिलता है। खासतौर से दुधारू पशुओं को सेम की फलियां खिलाना कारगर होता है। कृषि विज्ञान केंद्र के पशुपालन विशेषज्ञ डा. विद्यासागर की मानें तो सेम की लताएं एवं पत्तियों को सप्ताह में एक दिन हरे चारे के रूप में दिया जाए तो जानवरों को कई बीमारियों से राहत मिलती है। खास बात यह है कि इसमें पाए जाने वाले तत्व जानवरों को बांझपन की बीमारी से बचाने में कारगर पाए गए हैं।

सेम की नई प्रजाति विकसित

भारत में सेम की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी नई-नई प्रजातियां विकसित की जा रही हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने 'सेम' की नयी प्रजाति 'काशी हरीतिमा' नाम से विकसित की है। कृषि वैज्ञानिकों ने आठ साल के शोध के बाद इस प्रजाति को विकसित करने में सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह प्रजाति प्रति हेक्टेयर कम से कम 393 क्विंटल फसल देगी। यह सामान्य प्रजाति के सेम से 27 प्रतिशत अधिक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी के वैज्ञानिक नागेन्द्र राय की मानें तो सेम की यह नयी प्रजाति हाईब्रिड प्रजातियों को मात देने में सक्षम है। अखिल भारतीय सब्जी सुधार परियोजना के तहत निरीक्षण के बाद काशी हरीतिमा को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अनुमोदित किया गया है। काशी हरीतिमा की खासियत यह है कि यह कम तापमान में भी उगती है। इस प्रजाति के औषधीय गुण भी हैं। बिच्छू के डंक मारने के बाद काशी हरीतिमा के पत्ते का रस लगाने से जहर का असर नहीं होता।

सेम के औषधीय गुण

बुखार – सेम के पत्तों का रस तलवों पर लगाने से बच्चों का बुखार उतरता है। यदि बच्चों को अचानक तेज बुखार हो

जाए और चिकित्सक के आने में देरी हो रही हो तो यह नुस्खा अपनाया जा सकता है।

त्वचा रोग – सेम की पत्तियां त्वचा रोग में काफी कारगर मानी जाती है। दाद, खाज में इसकी पत्तियों का रस संबंधित स्थान पर लगाने से सप्ताहभर में राहत मिलती है। ललौसी नामक त्वचा रोग सेम की पत्ती को संक्रमित स्थान पर रगड़ने मात्र से ठीक हो जाता है।

रक्तशोधक – सेम रक्तशोधक है। यह फुर्ती लाती है। जिन लोगों को अक्सर फोड़े-फुंसी की शिकायत होती हो, उन्हें सेम की फलियों की सब्जी खानी चाहिए। ऐसा माहभर तक करते रहने से रक्त शोधित हो जाता है और तमाम बीमारियों से मुक्ति मिलती है।

कमजोरी – जिन लोगों का शरीर देखने में काफी दुबला-पतला है और उन्हें अक्सर कमजोरी की शिकायत रहती है, उन्हें सेम की दाल प्रयोग करनी चाहिए। सेम की फलियों की सब्जी के साथ ही सेम की दाल खाने से मोटापा बढ़ता है।

मस्से को दूर भगाए – नाक पर मस्से ज्यादा निकल रहे हो तो सेम की सब्जी खाएं। साथ ही मस्सों पर सेम फली रगड़ने से धीरे-धीरे मस्से दूर हो जाते हैं। फली के साथ ही सेम की पत्तियों के रस को भी मस्से पर लगाया जा सकता है। इससे काफी आराम मिलता है।

कांति लौटाए – चेहरे पर काले धब्बे हो तो सेम की पत्तियों का रस लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। चेहरे की कांति लौट आती है। सेम की पत्तियों का रस लगाने के बाद कुछ देर छोड़ दें और फिर चेहरे को साफ पानी से धो लें। ऐसा सप्ताहभर करने से फायदा दिखने लगता है।





बिच्छू का डंक – सेम बिच्छू के डंक में भी फायदेमंद है। बिच्छू का डंक लगने पर सेम की पत्ती का रस लगाने से जहर नहीं फैलता है। दर्द एवं जलन में भी राहत मिलती है।

मूत्र मार्ग में संक्रमण – यदि मूत्रमार्ग में संक्रमण की शिकायत हो तो सेम की फलियां खाना लाभकारी होता है। यह संक्रमण को कम करता है। पेशाब के वक्त होने वाली जलन एवं दर्द से राहत दिलाता है। महिलाओं को इसका नियमित सेवन करना चाहिए। सेम को दाल एवं सेम की फलियों को सब्जी के रूप में प्रयोग करने से यूटीआई इंफेक्शन से राहत मिलती है।

गुर्दे या मूत्राशय की पथरी – सेम पथरी रोगियों के लिए रामबाण मानी जाती है। इसकी सब्जी खूब खानी चाहिए। सेम का प्रयोग करते रहने से धीरे-धीरे पथरी गलकर निकल जाती है। मूत्रवर्धक होने की वजह से भी इसे पथरी रोगियों के लिए लाभकारी माना जाता है।

मधुमेह – सेम को मधुमेह में भी कारगर माना जाता है। मधुमेह रोगी सेम की दाल प्रयोग कर सकते हैं। इसकी हरी फलियों को भुजिया के साथ ही हल्के मसाले अथवा चोखे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं।

फेफड़ों के कैंसर – सेम एंटी आक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। इसे फेफड़ों के कैंसर के लिए लाभकारी माना जाता है।

रक्तचाप – सेम का नियमित सेवन करने से रक्तचाप की समस्या भी खत्म हो जाती है। जिन लोगों का रक्तचाप अधिक रहता है, उन्हें सेम का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सप्ताहभर तक नियमित सेवन करने से रक्तचाप नियंत्रित होने लगता है।

100 ग्राम सेम में शामिल प्रमुख तत्व

80.00 मिलीग्राम कैल्शियम
0.00 मिलीग्राम मैग्नीशियम
33.00 मिलीग्राम फास्फोरस
260.00 मिलीग्राम पोटेशियम
320.00 मिलीग्राम सोडियम
2.04 मिलीग्राम विटामिन ए
0.02 मिलीग्राम विटामिन बी1
0.10 मिलीग्राम विटामिन बी 2
0.06 मिलीग्राम विटामिन बी6
14.00 मिलीग्राम विटामिन सी
0.00 मिलीग्राम विटामिन ई

10 प्रमुख उत्पादक देश

देश	उत्पादन (टन में)
भारत	4330000
म्यांमार	3721949
ब्राजील	3435366
चीन	1572000
अमेरिका	899610
तंजानिया	675948
केन्या	577674
मैक्सिको	567779
युगांडा	447430
कैमरून	366463

सेम पर विदेशों में हुए शोध

सेम की उपयोगिता को देखते हुए विदेशों में इस पर कई शोध किए गए। जिसमें पाया गया कि यह कोलेस्ट्रॉल कम करने के मामले में सबसे उत्तम है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की वजह से हृदय रोगियों के लिए इसे रामबाण माना गया है। सेंट माइकल हॉस्पिटल के चिकित्सक सिवेनपाइपर ने अपनी रिसर्च के बाद कहा कि सेम को भोजन के रूप में प्रयोग करने से पांच प्रतिशत तक कोलेस्ट्रॉल कम होता है। भोजन में दाल को शामिल करना हृदय के लिए फायदेमंद रहता है। इसमें सेम की दाल ज्यादा कारगर है। दालों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स (पाचन क्रिया के दौरान भोजन सामग्री का टूटना) का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है और इनमें अतिरिक्त प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को घटाने की क्षमता होती है। सिवेनपाइपर ने मेटा एनालाइसिस समीक्षा के तहत 1,037 लोगों पर अध्ययन किया है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल: y Chandrabhanyahoo.com

फूलों की खेती से बदली तकदीर

डॉ. के.एन. तिवारी एवं एस.पी. सिंह

नवोन्मेषी किसान परम्परागत खेती छोड़कर विशेष लाभकारी खेती के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने में जुट गए हैं। तब की उच्च उत्पादकता हासिल करने की उनकी रणनीति अब अधिकतम लाभ अर्जित करने की हो गई है। ऐसे किसान अब कृषि विस्तारीकरण के माध्यम से नगदी फसलों की खेती से अच्छा-खासा लाभ अर्जित कर रहे हैं। यहां प्रस्तुत है उन्नाव जनपद के प्रगतिशील एवं नवोन्मेषी कृषक कृष्ण कुमार पटेल की सफलता की कहानी जिन्होंने फूलों की खेती से नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

हरित क्रान्ति के शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों, योजनाकारों एवं किसानों का मुख्य लक्ष्य प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना था ताकि देश खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से सम्पन्न हो जाए। सरकार की सकारात्मक सोच, वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं किसानों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप हमने शीघ्र ही खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल कर लिया परन्तु 90 के दशक के बाद धान-गेहूं फसल चक्र की

उत्पादकता में ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नहरी क्षेत्रों में जल रिसाव के कारण भूजल स्तर ऊपर उठने की समस्या और नलकूप क्षेत्रों में भूजल स्तर के गिरने की विकट समस्या के कारण नहरी क्षेत्रों में दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती बन्द करनी पड़ी और गिरते भू-जल स्तर के कारण नलकूप सिंचित क्षेत्रों में धान-गेहूं फसल चक्र में फसलों की पानी की मांग पूरा करना मुश्किल हो रहा है। लगातार एक ही फसल चक्र अपनाने से मृदा में विकार की कतिपय समस्या उत्पन्न होने लगी।



भूमि की घटती उर्वराशक्ति और उसकी घटती उत्पादन क्षमता, खरपतवार, कीट-व्याधि का बढ़ता प्रकोप, कृषि निवेशों के बढ़ते मूल्य के बावजूद उनकी उपलब्धता व गुणवत्ता पर लगता प्रश्नचिन्ह, बाजार में कृषि उत्पाद का सही मूल्य न मिलने की समस्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या, पारम्परिक खेती के कारण कृषकों की घटती आय, बिजली और नहरों में पानी की उपलब्धता की समस्या से आहत किसान खेती की नई विधा की खोज कर रहा है। नवोन्मेषी किसान परम्परागत खेती छोड़कर विशेष लाभकारी खेती के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने में जुट गए हैं। तब की उच्च-उत्पादकता हासिल करने की उनकी रणनीति अब अधिकतम लाभ अर्जित

करने की हो गई है। ऐसे किसान अब कृषि विस्तारीकरण के माध्यम से नगदी फसलों की खेती से अच्छा-खासा लाभ अर्जित कर रहे हैं। यहां प्रस्तुत है उन्नाव जनपद के प्रगतिशील एवं नवोन्मेषी कृषक कृष्ण कुमार पटेल की सफलता की कहानी जिन्होंने फूलों की खेती से नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

उन्नाव जनपद के विकासखण्ड सिकंदरपुर सिरोसी का गांव कुर्मिन खेड़ा उन्नाव शहर से 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस गांव के 49 वर्षीय किसान हैं श्री कृष्ण कुमार पटेल जिनके पास 7 हेक्टेयर की काशत है। यद्यपि कृष्ण कुमार होश संभालते ही पूरी तन्मयता व लगन से खेती-किसानी में जुट गए थे परन्तु प्रारंभ में मुख्य रूप से बाजरा, मूंगफली, गेहूं और सरसों की खेती से बमुश्किल परिवार का खर्च ही चल पाता था। क्योंकि उन्हें इस खेती से मुश्किल से 8 हजार बीघा की दर से आय हो पाती थी। परिवार के भरण-पोषण के खर्च के अलावा 2 पुत्रों और 3 पुत्रियों की मानक पढ़ाई-लिखाई के लिए कृत संकल्प कृष्ण कुमार के पास खेती के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। घाघ के "उत्तम खेती मध्यम बान" के सिद्धान्त को अमलीजामा पहनाने के लिए कृष्ण कुमार ने बाजरा, मूंगफली, गेहूं आदि की पारम्परिक खेती छोड़ आलू जैसी नकदी फसल की ओर रुख किया। कृष्ण कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से आलू की भरपूर उपज की परन्तु गिरे भाव के कारण फसल की खुदाई भी घाटे का सौदा साबित हो रही थी। पैदा की गई आलू के लिए कोल्ड स्टोर में जगह न मिलने की समस्या से आहत कृष्ण कुमार कई बार आत्महत्या का विचार कर चुके थे परन्तु वे इस झटके को भी झेल गए और बढ़ चले फूलों की खेती की ओर।

वर्ष 2009 में इफको फाउंडेशन द्वारा फूलों की खेती के प्रति किसानों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का अनूठा कार्य प्रारम्भ किया था। कृष्ण कुमार की मुलाकात उन्नाव जनपद में कार्यरत इफको फाउंडेशन के अधिकारियों से हुई जिनके द्वारा उन्हें गुलाब की खेती की सम्यक जानकारी दी गई और इफको फाउंडेशन द्वारा दी जानी वाली आर्थिक सहायता का भी विवरण हासिल कराया। कृष्ण कुमार को इफको फाउंडेशन ने इस वर्ष ग्लैडिओलस के 15000 बल्ब और तकनीकी ज्ञान दिए। उद्यान विभाग से भी कृष्ण कुमार को 10,000 बल्ब मिल गए और प्रशस्त हो गया 16 बिस्वा में ग्लैडिओलस की सफल खेती और मुनाफे का काम।

कृष्ण कुमार के अनुसार वह फूलों की खेती और व्यवसाय करने वाले कृषक सुधीर के श्रुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें फूलों की खेती के लिए उत्साहित किया। सुधीर की कानपुर में फूलों की एक दुकान भी थी। संयोग से एक दिन सुधीर ने कृष्ण कुमार से अपनी कानपुर की दुकान के काउंटर पर मदद के लिए कहा। कृष्ण कुमार उस दिन सुधीर के काउंटर पर बैठ गए। यह एक

दिन का अनुभव कृष्ण कुमार की जिन्दगी में ऐसी रंगत लाया कि फिर वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। बताते चले कि उस दिन कृष्ण कुमार ने प्रत्यक्ष देखा कि सुधीर की दुकान से 2,25,000 रुपये के फूलों की बिक्री हुई थी। इस अनुभव के बाद कृष्ण कुमार जैसे कर्मठ किसान ने अपने भविष्य का रास्ता खुद ही तय कर लिया और जुट गए गुलाब की सफल खेती के लिए वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने। उन्होंने शीघ्र ही उन्नाव के उद्यान विभाग और इफको फाउंडेशन के अधिकारियों से सम्पर्क किया जिससे ग्लैडिओलस तथा गुलाब की खेती सम्बन्धी समस्त जानकारी हासिल कर वर्ष 2010 में 6 बीघे में गुलाब की खेती प्रारंभ की। कृष्ण कुमार ने गुलाब में 3 ट्राली गोबर की सड़ी खाद, 5 कुन्तल हड्डी का चूरा, एक बोरी डीएपी और एक बोरी यूरिया का प्रयोग किया। गुलाब की खेती से उन्हें 7 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

वर्ष 2010 में कृष्ण कुमार ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित प्रदर्शनी भी देखी और प्रगतिशील कृषकों से विचारों का आदान-प्रदान हुआ। वे दक्षिणी राज्यों के किसानों की बातों से बहुत प्रभावित हुए जोकि महंगे फूलों की खेती से एक हेक्टेयर से 20 लाख रुपये लाभ की बात कर रहे थे। वे फूल थे-जरबेरा, कार्नेशन, यूफोरियम, आर्किड और लीलियम। कृष्ण कुमार के मन में वर्ष 2010 में ये फूल खिलने लगे और प्रगति मैदान में लगी प्रदर्शनी से उन्होंने खरीद लिए 10000 रुपये के इन सारे फूलों के बीज। कृष्ण कुमार बीज तो ले आए परन्तु इन फूलों को खुले खेत में लगाने से वांछित लाभ मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब उन्होंने पुनः इफको फाउंडेशन से मदद मांगी और फाउंडेशन ने उन्हें 500 वर्ग मीटर का नेट हाउस उन्हीं के खेत पर खड़ा कर दिया। इफको फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग और कृष्ण कुमार की मेहनत रंगत लाई और शुरू हुई इन फूलों की नेट हाउस में नवोन्मेषी खेती। यह घटना वर्ष 2010 की है। इन सभी फूलों के 100 पौधे कृष्ण कुमार नेट हाउस में तैयार करने में सफल रहे। लिलियम के स्टिक से उन्हें 75 रुपये की दर से 7500 रुपये मिले। इसी प्रकार जरबेरा के एक स्टिक से औसतन 6 रुपये की दर से बिक्री कर 7000 रुपये कमाए। यूफोरियम, आर्किड और कार्नेशन को मिलाकर कृष्ण कुमार को इस नेट हाउस के फूलों से एक लाख रुपये का शुद्ध लाभ मिल गया।

वर्ष 2011 में कृष्ण कुमार ने ग्लैडिओलस के बल्ब की व्यवस्था करके 3.5 बीघे में इस फूल की खेती की बड़े पैमाने पर शुरुआत की। इससे उन्हें 5.00 लाख रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ से उत्साहित कृष्ण कुमार ने कुछ जमीन ठेके पर ले ली और 2012 में 9 बीघे में ग्लैडिओलस की खेती का विस्तार कर 12 लाख रुपये की कमाई की। ग्लैडिओलस में उन्होंने मुख्य रूप



से गोबर व कम्पोस्ट के साथ ही इफको की एनपीके (12:32:16) यूरिया और डीएपी डाला।

वर्ष 2012 में कृष्ण कुमार के मन में फूलों की सर्वोत्तम और अधिकतम लाभकारी खेती की दिशा में नया कीर्तिमान स्थापित करने का संकल्प परवान चढ़ रहा था। "हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा" जैसी उक्ति की सार्थकता कृष्ण कुमार के चौखट पर दस्तक दे रही थी। उन्होंने हिम्मत की और जरबेरा की बड़े पैमाने पर खेती का संकल्प लिया। अब फिर वे जरबेरा की खेती के लिए उद्यान विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क साधे और उद्यान विभाग की राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार वांछित सहायता स्वीकृत हो गई। इस परियोजना के लिए उन्हें बैंक से 19.3 लाख रुपये का ऋण लेना था जिसके लिए कोई भी बैंक तैयार नहीं था। परन्तु पंजाब नेशनल बैंक उन्नाव ने कृष्ण कुमार के पुरुषार्थ पर भरोसा किया और उन्हें बैंक से आवश्यक ऋण प्राप्त हो गया। इस प्रकार खड़ा हो गया 4000 वर्ग मीटर में आधुनिक पाली हाउस जहां जरबेरा की खेती का एक आदर्श मॉडल जो दूरदर्शी कृष्ण कुमार के अटूट विश्वास, कठिन परिश्रम, अति उत्साह और लगन की सफलता की कहानी बयां कर रहा है। इस पाली हाउस में फर्टिगेशन की व्यवस्था है जिससे फसल को उचित मात्रा में जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति हो रही है। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वह जल विलेय उर्वरकों (18:18:18, 34:10:0, 17:44), ह्यूमीसील, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट तथा जिबर्लिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जाड़े में गंधक की आपूर्ति के लिए बेन्टोनाइट सल्फर का भी इस्तेमाल करते हैं। पाली हाउस में वे कवकनाशी (फंजीसाइड)

का नियमित छिड़काव करते हैं ताकि फफूंदी जनित बीमारियों की रोकथाम हो सके। कृष्ण कुमार के अनुसार प्रतिदिन जरबेरा की 10,000 रुपये की बिक्री हो रही है। शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर फूलों की मांग बढ़ने के कारण अच्छा लाभ मिल जाता है। जरबेरा से फूलों की तुड़ाई फरवरी 2014 से प्रारम्भ हुई और 30 जून, 2014 तक वे 10 लाख रुपये की फूलों की बिक्री कर चुके हैं।

कृष्ण कुमार के बच्चे उन्हें पाली हाउस के कार्य में पूरी लगन से मदद करते हैं। बड़ी बेटी ने एच.वी.टी.आई. कानपुर से कम्प्यूटर की पढ़ाई की है और बड़े बेटे ने भी बी.एस.सी. कर ली है। अतः वे इंटरनेट आदि में पारंगत

होने के साथ ही बहुत ही परिश्रमी हैं और फूलों की उन्नत खेती का पूरा ज्ञान रखते हैं तथा कृष्ण कुमार की दिल व दिमाग से मदद करते हैं। कृष्ण कुमार के पास 3 फीजन गायें भी हैं, जिनसे औसतन 30 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है। इससे इन्हें घर खर्च के अलावा अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। कृष्ण कुमार इन गायों के मलमूत्र का उपयोग करके गुणवत्तायुक्त कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर लेते हैं, जिनके कुशल उपयोग से मृदा स्वास्थ्य सम्वर्द्धन में मदद मिलती है। कृष्ण कुमार की सफलता की कहानी बहुतेरे किसानों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रही है।

(लेखक क्रमशः सलाहकार, मृदा जीर्णोद्धार एवं उत्पादकता वृद्धि परियोजना, इन्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, लखनऊ एवं क्षेत्र प्रबन्धक, इन्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, उन्नाव में कार्यरत हैं।)

हमारे आगामी अंक

- अक्टूबर, 2014 – गांवों में रोजगार (विशेषांक)
(Rural Employment (Special Issue))
- नवंबर, 2014 – कृषि वित्त प्रबंधन
(Agricultural Financing)
- दिसंबर, 2014 – कृषि का व्यवसायीकरण
(Commercialisation of Agriculture)
- जनवरी, 2015 – ग्रामीण-शहरी लिंकेज
(Rural-Urban Linkages)

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य अंश

- इस आजादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक-अनेक शुभकामनाएं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ।
- देश की आजादी के लिए मर-मिटने वाले, समर्पित उन सभी आजादी के सिपाहियों को मैं शत-शत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ।
- स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित समाज के पिछड़े हुए सभी लोगों के कल्याण का, उनके लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का संकल्प लेने का पर्व है।
- हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाएं। अगर इस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं, तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है।
- ये देश शासकों ने नहीं, किसानों ने, मजदूरों ने, माताओं-बहनों ने, नौजवानों ने, ऋषियों-मुनियों, आचार्यों, शिक्षकों ने, वैज्ञानिकों ने और समाज सेवकों ने बनाया है।
- आजादी के बाद देश जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है। इस देश की सभी सरकारों का, सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है।
- चंपरासी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है। हरेक की शक्ति व अनुभव है। मैं उस शक्ति को जगाना चाहता हूँ। मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूँ और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूँ और मैं करके रहूंगा।
- क्या सवा सौ करोड़ देशवासियों का मंत्र नहीं होना चाहिए कि जीवन का हर कदम देश हित में हो।
- करोड़ों-करोड़ों परिवार हैं जिनके पास मोबाइल फोन तो हैं, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं हैं। ये स्थिति हमें बदलनी है।
- सरकारी सेवा में जुड़े हुए लोग जाँब नहीं कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं इस बात को पुनर्जीवित करना है।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत जो भी अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ एक लाख रुपये का बीमा मिल सकता है।
- हमारा देश विश्व का सबसे नौजवान देश है। देश को विकास की ओर आगे बढ़ाना है और स्किल डेवलपमेंट हमारा मिशन है।
- आप कल्पना कीजिए सवा सौ करोड़ देशवासी एक कदम आगे चलें तो ये देश सवा सौ करोड़ कदम आगे चला जाएगा।
- मैं ऐसे नौजवानों को भी तैयार करना चाहता हूँ, जो जाँब क्रिएटर हों।
- अन्न के भंडार भर कर के मेरा किसान भारत मां की उतनी ही सेवा करता है जैसे जवान भारत मां की रक्षा करता है। यह भी देश सेवा है।
- नौजवान एक फ़ैसला करें कि मैं अपने छोटे-छोटे काम के द्वारा मेरे देश को इम्पोर्ट करने वाली कम से कम एक चीज ऐसी बनाऊंगा जो देश को कभी इम्पोर्ट ना करनी पड़े।
- एक जमाना था जब कहा जाता था कि रेलवे देश को जोड़ती है। ऐसा कहा जाता था। मैं कहता हूँ आज आई-टी देश को जन-जन को जोड़ने की ताकत रखती है।
- हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। टूरिज्म से गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चना बेचने वाला, ऑटो रिक्शा वाला, पकोड़े बेचने वाला और चाय बेचने वाला भी कमाता है। जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे अपनापन महसूस होता है।
- राष्ट्र के चरित्र के रूप में भी सबसे बड़ी रुकावट है- हमारे चारों ओर दिखाई दे रही गंदगी। मैंने यहां आकर के सरकार में सबसे पहला काम सफाई का किया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या यह प्रधानमंत्री का काम है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम है।
- अगर सवा सौ करोड़ देशवासी यह तय कर ले कि मैं कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगा, तो दुनिया की कौन-सी ताकत है जो हमारे शहर-गांव को आकर के गंदा कर सके।
- हम तय करें कि 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा देश, हमारा मोहल्ला, हमारे स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र में गंदगी का नामोनिशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से नहीं होता है, जनभागीदारी से होता है।
- आज हमारी माताओं-बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है क्या हम ये चाहते हैं? क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है कि हमें कम से कम शौचालय का प्रबंध करना चाहिए।
- मुझे 'स्वच्छ भारत' का अभियान इसी 2 अक्टूबर से आरम्भ करना है और चार साल के भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे।
- एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूँ वो है हिंदुस्तान के सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़कर के भागेंगी नहीं और मैं एमपी फंड का उपयोग करने वाले सांसदों से आग्रह करता हूँ कि एक साल के लिए अपना धन स्कूलों में टॉयलेटों को बनाने में खर्च कीजिए।
- अगले 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हों तो विश्वास के साथ खड़े हों, तब हिंदुस्तान का कोई स्कूल ऐसा ना हो जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेटों का निर्माण होना बाकी हो।
- मैं आज सांसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूँ 'सांसद आदर्श ग्राम योजना'। हर सांसद 2016 तक अपने इलाके में एक गांव को 'आदर्श गांव' बनाए।
- 2016 के बाद जब 2019 में सांसद चुनाव के लिए जाएं उसके पहले और दो गांवों को आदर्श गांव बनाएं और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम पांच आदर्श गांव अपने इलाके में बनाएं।
- 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर इस सांसद आदर्श ग्राम योजना का कम्पलीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों और सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा।
- क्यों न हम सार्क देशों के सभी साथी मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ने की योजना बनाएं। हम मिलकर लड़ाई लड़े। गरीबी को परास्त करें।
- मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूँ। मैं शासक के रूप में नहीं सेवक के रूप में सरकार लेकर आया हूँ।

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2012-14

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2012-14

2 सितम्बर 2014 को प्रकाशित एवं 5-6 सितम्बर 2014 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2012-14

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2012-14

to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.



प्रकाशक और मुद्रक : ईरा जोशी अपर महानिदेशक (प्रमुख), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना